जुलाई 2015

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
रघुवीर श्रीवास्तव

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

प्रमुख सम्पादक
देवेन्द्र जोशी

परामर्श
शिवानी वर्मा

सम्पादक
रंजना चितले

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
अल्पना राठौर
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

मध्यप्रदेश में हुई देश की पहली बाँस निवेश मीट

उन्नत कृषि उन्नत किसान

इस अंक में

पहल : नई फसल बीमा योजना की पहल	3
कृषि महोत्सव : खेती में नई तकनीक और योजनाओं का विस्तार	9
आजीविका : मध्यप्रदेश में कृषक उत्पादक कम्पनियाँ	12
साक्षात्कार : उत्कृष्ट कार्य को मिला सम्मान	16
आजीविका : सोयाबीन उत्पादन कार्यक्रम	20
मनरेगा : रोजगार के लिये मनरेगा में नये काम शुरू	31
आयोजन : मध्यप्रदेश में पाँच करोड़ बाँस वृक्ष लगेंगे	32
स्कूल चलें हम : प्रदेश में हर बेटी-बेटा स्कूल जाये	34
अच्छी खबर : लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्रों का वितरण	35
पंचायत : पंचायतें और वाचिकता	36
पंचायत - अच्छी पहल : सशक्त महिला नेतृत्व से विकास को मिली रफ्तार	38
पंचायत गजट : ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन का निर्धारण	39

आयुक्त की कलम से...

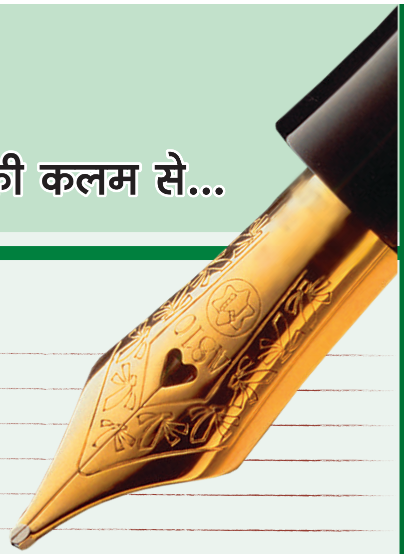

प्रिय पाठको,

कृषि आज हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और रिकॉर्ड विकास दर के कीर्तिमान रचे हैं। मध्यप्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने और जोखिम रहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा फसल बीमा योजना बनाने की पहल की है, ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं में भी न्यूनतम आय प्राप्त हो सके। भोपाल में फसल बीमा योजना बनाने को लेकर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसकी जानकारी को 'पहल' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है।

विगत कई वर्षों से मध्यप्रदेश में कृषि के क्षेत्र में उम्मीद से बढ़कर परिणाम प्राप्त हुए हैं इसी का नतीजा है कि मध्यप्रदेश को लगातार तीन वर्षों से प्रतिष्ठित कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहे हैं। कृषि विकास की निरन्तरता कायम रखने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया जिसकी खबर हमने 'कृषि महोत्सव' स्तंभ में प्रकाशित की है। मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। देश में सर्वाधिक कृषि विकास दर प्राप्त करने का मूल कारण है यहाँ किसानों को ब्याज रहित ऋण, सिंचाई की व्यवस्था, बिजली, खाद और उन्नत प्रमाणित बीज मिल रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के सहयोग से स्थापित कृषि उत्पादक कम्पनियाँ किसानों को रियायती दरों पर उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवा रही हैं साथ ही उन्हें कृषि प्रशिक्षण भी दे रही हैं। कृषि उत्पादक कम्पनियों की विकास गाथा को 'आजीविका' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। इन कम्पनियों में से हरदौल कृषि एवं विपणन उत्पादक कंपनी शिवपुरी तथा समर्थ किसान प्रोड्यूसर कम्पनी आगर मालवा ने जिलों में किसानों के उत्थान के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। इन कम्पनियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। इन कम्पनियों से कार्य को लेकर हुई बातचीत को 'साक्षात्कार' स्तंभ में प्रकाशित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए चलाई जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों को जरूरत के अनुसार रोजगारमूलक काम खोले जाने की मंजूरी दी गई है। इस जानकारी को 'मनरेगा' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। बांस उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन आधारित रोजगार सृजित करने के लिए मध्यप्रदेश में देश की पहली बांस निवेश मीट आयोजित की गई। इस खबर को हमने 'आयोजन' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। जुलाई महीने की शुरुआत के साथ स्कूल खुल जाते हैं। अब प्रत्येक बच्चा स्कूल जाए यह सुनिश्चित करना सरकार के साथ-साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। स्कूलों में शिक्षा सबकी पहुंच में हो इसके लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान स्कूल चलें अभियान के प्रवेशोत्सव में शामिल हुए जिसकी जानकारी 'स्कूल चलें हम' स्तंभ में प्रकाशित की गई है। 'अच्छी खबर' स्तंभ में हमने प्रदेश में चल रही लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरण की जानकारी को प्रकाशित किया है। 'पंचायत' स्तंभ के अंतर्गत हम निरन्तर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आलेख प्रकाशित कर रहे हैं। ग्राम पंचायत कौड़िया में सरपंच सहित सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं जो प्रदेश ही नहीं देश में एक मिसाल है। इस जानकारी को हमने 'पंचायत-अच्छी पहल' स्तंभ में शामिल किया है। और अंत में मध्यप्रदेश की ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिवों के लिए नया वेतनमान निर्धारण किया गया है। इस संबंध में जारी आदेश को 'पंचायत गजट' स्तंभ में प्रकाशित किया गया है।

इस अंक में बस इतना ही आपको हमारा यह अंक कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजिए।

(रघुवीर श्रीवास्तव)

राष्ट्रीय संगोष्ठी

नई फसल बीमा योजना की पहल

मध्यप्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है जिसके परिणाम हमारे सामने हैं। कृषि विकास दर 24.99 देश में ही नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा रही है। प्रदेश कृषि विकास दर में यह वृद्धि सिंचाई सुविधाओं के व्यापक विस्तार, किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण की उपलब्धता और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने पर किसानों को राहत का वितरण आदि से संभव हुई है। कृषि व्यवसाय को लेकर उठाये जा रहे प्रभावी कदमों की श्रृंखला में अन्नदाता के भविष्य की गारंटी शामिल है। इसी पहल के तहत विगत दिनों होटल जहांनुमा पैलेस में 15 और 16 जून 2016 को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन सहित जनप्रतिनिधियों, देश दुनिया के विषय-विशेषज्ञों तथा अधिकारियों ने मिलकर विचार मंथन किया। कार्यशाला में फसल बीमा योजना का प्रारूप तैयार किया गया।

मध्यप्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर किये गये परिणामों का नतीजा है कि अब मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर देश ही नहीं दुनिया में सर्वाधिक है। प्रदेश में नई कृषि तकनीक और नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है। किसानों के हित के लिये उठाये जा रहे कदमों में मध्यप्रदेश में एक ओर पहल की गयी 'फसल बीमा योजना' के प्रारूप का निर्माण। किसानों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए ऐसी फसल बीमा योजना बनाने का आग्रह किया जिसमें किसानों को आकस्मिक विपत्तियों और आपदाओं में भी उनकी न्यूनतम आय सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने किसानों की व्यवहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखकर फसल बीमा योजना बनाने को कहा। किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना बनाने को लेकर भोपाल में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाजपा के उपाध्यक्ष और मध्यप्रदेश के प्रभारी श्री विनय सहस्त्रबुद्धे, कृषि लागत और कीमत आयोग के अध्यक्ष डॉ. अशोक विशनदास, केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अपर सचिव श्री ए.के. श्रीवास्तव के अलावा विदेशों के कृषि विशेषज्ञ एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। शिकागो से फसल बीमा विशेषज्ञ श्री जोशुआ मेडसन, अर्जेंटीना के डॉ. मिग्यूल फसको, सिंगापुर के कृषि प्रमुख एशिया पेसिफिक श्री क्रिस्टोफर कोए, जर्मनी से डॉ. लीफ हेल्मफहार्ट और स्विटजरलैंड की सुश्री हेरिनी कनान और फसल बीमा से जुड़े विषय-विशेषज्ञ एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

फसल बीमा पर आयोजित संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को जोखिम से पूरी तरह सुरक्षित करने वाली फसल बीमा योजना बननी चाहिये। कृषि आज भी हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार है। मध्यप्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये हरसंभव प्रयत्न किये गये हैं। प्रदेश की कृषि विकास दर में चमत्कारी वृद्धि सिंचाई सुविधाओं के व्यापक विस्तार के कारण संभव हुई है। खेती की लागत घटाना, किसान को उत्पाद का उचित मूल्य, प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई लाभप्रद खेती के लिये आवश्यक है। प्रदेश में किसानों को लागत कम करने के लिये शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा कि आज भी मौसम आधारित खेती होती है और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होती है। फसल नष्ट होने के जोखिम को सुरक्षित करके ही किसानों को सुखी बनाया जा सकता है। पिछले वर्ष मध्यप्रदेश में सोयाबीन और गेहूँ की फसल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने पर किसानों को 3,300 करोड़ रुपये की राहत वितरित की गयी। वर्तमान में लागू फसल बीमा योजनाएँ अव्यवहारिक हैं तथा किसान हितैषी नहीं हैं। इसमें फसलों की क्षति के आकलन में अधिक समय लगता है। फसल बीमा योजना के दायरे में अऋणी किसानों तथा सभी फसलों को लाया जाना चाहिये। अफलन, सूखा की स्थिति में भी राहत देने का प्रावधान होना चाहिये। बीमा राशि के दावों के निपटान तेजी से होना चाहिये। राहत की राशि सीधे किसानों के खाते में जाना चाहिये। फसलों के मूल्य गिरने से होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान होना चाहिये। योजना का प्रीमियम न्यायोचित होना चाहिये ताकि किसान उसे आसानी से दे सके।

कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि किसानों को संकट के क्षणों में सुरक्षा देने के लिये बीमा सुरक्षा की आदर्श योजना बनाना जरूरी हो गया है। आपदाओं से किसानों को बचाना राज्य और केन्द्र दोनों की जिम्मेदारी है। आज प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल करते हुए गेहूँ उत्पादन और दूध उत्पादन में देश में नाम कमाया है। किसानों के लिये मध्यप्रदेश ने आगे बढ़कर काम किया है। चाहे उन्हें सुविधाएँ उपलब्ध करवाना हो या उदारतापूर्वक राहत राशि देने का निर्णय हो। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना अब जरूरी हो गया है। मुख्य सचिव श्री ॲन्टोनी डिसा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रतिबद्ध प्रयासों से मध्यप्रदेश देश में कृषि का ताज बन गया है। गेहूँ उत्पादन में पंजाब, हरियाणा और दूध उत्पादन में महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश बासमती के उत्पादन में भी आगे है। कृषि वृद्धि दर अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। अब मध्यप्रदेश के किसानों के लिये नई फसल बीमा योजना बनाने की ऐतिहासिक पहल हो रही है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन में आई

कमियों को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश ने अब अपनी स्वयं की कृषि बीमा योजना बनाने में कदम बढ़ा दिया है।

बीमा योजना निर्माण के लिये आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन समापन सत्र में 16 जून को केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने सरकार को गाँव, गरीब और किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित सरकार बताया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार भी अगले वर्ष नई कृषि आमदनी बीमा योजना लागू करेगी। मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों को मध्यप्रदेश का अनुकरण करना चाहिये। केन्द्र की किसान-हितैषी योजनाओं की सफलता में राज्यों की मुख्य भूमिका है। मध्यप्रदेश ने इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया है। मध्यप्रदेश ने सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाते हुए किसानों के हित में बजट का बेहतर इस्तेमाल किया है।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले रबी मौसम से किसानों के लिये प्रायोगिक तौर पर सुनिश्चित कृषि आय योजना (एग्रीकल्चर इन्कम एंश्योरेंस स्कीम) नाम से नई फसल बीमा योजना शुरू की जायेगी।

नई फसल बीमा योजना के स्वरूप की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि फसल बीमा योजना सिर्फ किसानों पर केन्द्रित होना चाहिये क्योंकि किसानों के लिये फसल ही जीवन है। फसल बीमा योजना इतनी सरल होना चाहिये कि किसानों को आसानी से समझ में आये और वे इसका पूरा लाभ उठा सकें। किसान बिना किसी परेशानी के प्रीमियम की राशि भर सकें। पूववर्ती बीमा योजनाएँ कभी भी किसान हितैषी और आकर्षक नहीं रहीं। वे प्रभावी नहीं थीं इसलिये अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाईं।

यह बीमा योजना राजस्व मॉडल पर होना चाहिये न कि उत्पाद आधारित। खराब मौसम से फसल नुकसान के अलावा उपज की दरें गिरना भी किसान के लिये नुकसानदायक होता है। फसल बीमा योजना ऐसी बनाना होगी कि फसलों के बाजार दाम गिरने के बाद भी किसान अप्रभावित रहें। उन्हें न्यूनतम सुनिश्चित आय हो। प्रीमियम दरें कम और सरल हों। प्रीमियम का फार्मूला सरल हो। किसानों का सौ प्रतिशत बीमा कव्हरेज करने के लिये गाँव के नौजवानों को कृषि फसल बीमा एजेंट बनाने पर भी विचार किया जाना चाहिये ताकि उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले और सभी किसानों का बीमा भी हो जाये।

श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में खरीफ 2015 से अपनायी जाने वाली कृषि फसल बीमा योजना में उत्पादन अनुमान, फसल कटाई प्रयोग के लिये रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जायेगा। ऑटोमेटेड मौसम स्टेशन बनाये जायेंगे। यदि किसान बीमा राशि का दावा प्रस्तुत न करे तो भी उसे निश्चित प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिये। इसके लिये केन्द्र और राज्य मिलकर मॉडल पर विचार कर सकते हैं। किसानों को निश्चित आय मिले इसके लिये किसान कल्याण कोष स्थापित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये। इससे सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध बनेगा। इसके लिये केन्द्र और राज्य मिलकर बजट उपलब्ध करवाने पर विचार कर सकते हैं। कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि सरल और प्रभावी परिणामोन्मुखी फसल बीमा योजना होनी चाहिये। अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्र के लिये अलग-अलग नीति बनाई जाना चाहिये। इसके लिये प्रीमियम भी अलग-अलग होना चाहिए।

पंचायत राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यशाला का आयोजन

पंचायत राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये आगामी 7 जुलाई को भोपाल में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में प्रदेश के सभी नव-निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा जनपद पंचायत अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जायेगा। आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्षों की मंशानुरूप किया गया है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों के साथ विचार-मंथन कर पंचायत राज व्यवस्था में बेहतर कार्यप्रणाली विकसित करना है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि इसमें पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायतों के नियम, कानून तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राज्यस्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा। जिला व जनपद के पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव प्राप्त कर परिचर्चा होगी, इसके आधार पर जो बिन्दु निकलकर आयेंगे उसका क्रियान्वयन किया जायेगा। कार्यशाला के माध्यम से विचार साझा करने की इस प्रक्रिया में जहां कार्य करने में आने वाली दिक्कतें और कमियां स्पष्ट होंगी वहीं उत्कृष्ट कार्यों के परिणामों से अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री गोपाल भार्गव के उद्बोधन, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा विशेष मार्गदर्शन के अतिरिक्त आयुक्त पंचायत राज संचालनालय द्वारा समय-समय पर उठने वाले प्रश्नों व बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा। तीन सत्रों में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में श्रीमती अलका उपाध्याय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.आर.डी.ए. द्वारा मुख्यमंत्री आवास एवं इन्दिरा आवास पर प्रस्तुतीकरण, श्रीमती हेमवती बर्मन संचालक स्वच्छता मिशन द्वारा निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम पर प्रस्तुतीकरण, आयुक्त मनरेगा द्वारा मनरेगा में ई.एफ.एम.एस. पर प्रस्तुतीकरण, संचालक श्री अजीत कुमार द्वारा समग्र का प्रस्तुतीकरण, श्रीमती शिवानी वर्मा संयुक्त संचालक, पंचायत राज द्वारा सुदृढ़ पंचायत राज व्यवस्था पर प्रस्तुतीकरण तथा डॉ. विनोद यादव, उप संचालक, पंचायत राज द्वारा पंचायत दर्पण पोर्टल तथा ग्राम पंचायतों में ई-भुगतान व्यवस्था पर प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा।

फसल बीमा योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला

अखिल भारतीय किसान संगठन के संगठन मंत्री श्री दिनेश कुलकर्णी ने कहा कि फसल खरीद की जो व्यवस्था मध्यप्रदेश में है उसे देश में लागू करना चाहिए। किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिये आयोग बनाने पर पर भी विचार होना चाहिए। प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा ने संगोष्ठी की अनुशंसाओं की जानकारी दी।

उन्होंने फसल बीमा योजना के प्रस्तावित स्वरूप की चर्चा की और कृषि एवं बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझावों से भी अवगत करवाया। फसल बीमा योजना बनाने को लेकर सम्पन्न दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में फसल बीमा योजना का प्रारूप बनकर तैयार है। मध्यप्रदेश सरकार किसानों के साथ किसान हित में साथ खड़ी है। किसानों की न्यूनतम आय की सुनिश्चितता को लेकर प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया कि फसल बीमा योजना के माध्यम से यदि ऐसा नहीं हुआ तो किसान कल्याण कोष बनाकर किसानों को लाभ पहुँचाया जायेगा। किसानों के लिए प्रदेश के मुखिया के इसी संकल्प का परिणाम है कि मध्यप्रदेश में खेती लाभ का व्यवसाय बनने की ओर अग्रसर है।

● **रवीन्द्र स्वप्निल**

मुख्य अनुशंसाएं

- फसल बीमा योजना का Sustainable होना आवश्यक है। इसके लिए बीमा कम्पनियों के लिए business model योजना के सार में होना आवश्यक है।
- फसल बीमा योजना का क्षतिपूर्ति स्तर इतना कम न हो कि किसान को उत्पादकता घटने पर भी कोई वाजिब राहत ना मिले तथा इतना अधिक भी न हो कि किसान श्रम इस सोच के साथ कम कर दे कि फसल बीमा का लाभ तो मिल जावेगा।
- न्यूनतम ग्यारण्टीड आय को कृषि क्षेत्र में लागू करना समय की मांग है तथा इससे संस्थागत ढांचा बनाकर लागू किए जाने की आवश्यकता है।
- फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए ताकि समस्त किसानों में योजना के प्रति तथा इसके प्रावधानों के बारे में पर्याप्त जागरूकता हो।
- एशिया में छोटे-छोटे किसानों की संख्या ज्यादा होने के कारण केवल खेत-आधारित योजना की बजाए क्षेत्र-आधारित एवं खेत-आधारित का मिला-जुला हो, जो अधिकांश देशों में है।
- Livestock का बीमा किसानों के लिए आवश्यक पहलू है। अतः फसल बीमा योजना के साथ ही किसानों के लिए प्रभावी Livestock की बीमा योजना भी होना चाहिए।

- फसल बीमा योजना बोनी के लिए खेत की तैयारी से लेकर बेचने तक की समस्त प्रक्रियाओं तथा स्तरों के जोखिम को कवर करने वाली होना चाहिए।
- फसल बीमा योजना में standard insurance product design समस्त प्रकार की फसलों पर लागू हो ही नहीं सकते। इसलिए योजना में "basket of products" होना चाहिए, जिसमें से किसान अपने लिए उपयुक्त product चुन सके।
- फसल बीमा योजना अंतर्गत food supply chain, social Security तथा environment issues के सरोकार समाहित होना चाहिए।
- यदि देश में 100% किसान फसल बीमा योजना से जुड़ते हैं तो ऋण (वास्तविक प्रीमियम दरों) में 90% तक गिरावट संभव हो सकती है।
- विश्व के लगभग समस्त देशों में वास्तविक प्रीमियम दर (APR) पर 25% से 80% प्रीमियम अनुदान सरकार द्वारा जमा कराया जाता है। प्रीमियम दरों पर (APR पर) सरकार का अनुदान अलग-अलग है। ऑस्ट्रेलिया में 0% इस्राइल में 35 से 80% तक, जर्मनी में 50% स्पेन में 50%, जापान में 50%, फ्रांस में 60%, अमेरिका में 70%, तक चीन में 50 से 70% तक, फिलीपिन्स में 100%, तक APR पर सरकार का प्रीमियम अनुदान दिया जाता है।
- फसल बीमा योजनाओं (NAIS, WBCIS, MNAIS) का कुल Penetration कुल कृषि क्षेत्रफल का मध्यप्रदेश में 40.88% है, जो राष्ट्रीय औसत से कई गुणा अधिक है। अऋणी कृषकों द्वारा फसल बीमा योजनाओं को देश में तथा प्रदेश में लगभग बिल्कुल भी नहीं अपनाया गया है।
- अग्रणी किसानों को फसल बीमा योजना में जोड़ने के लिए Tab-based या mobile based app. का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- IT intervention बैंकों में फसल बीमा में किए जाने पर बैंकों पर भार कम किया जा सकता है।
- मौसम आधारित फसल बीमा योजना की विफलता का मुख्य कारण ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन (AWS) तथा ऑटोमेटेड रैन गाजेस (ARG) की पर्याप्त संख्या नहीं होना भी है।
- Soil moisture sensors, satellite pictures, Aerial pictures से फसल की स्थिति तथा फसल की उत्पादकता का आकलन किया जा सकता है।
- रिमोट सेन्सिंग सैटेलाईट इमेजरी, माइक्रोवेव इमेजस् (Geo-Spatial Technology) आदि से 1 कि.मी. resolution से 1 मी. के resolution की क्षमता उपलब्ध है। तकनीक उपलब्ध है जिससे हम खेत तक की उत्पादकता तथा फसल क्षति की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। मृदा के stratification के data एवं agro-meteorology का साथ में इस्तेमाल करने से accuracy बढ़ाई जा सकती है।
- ग्राम का cadastral map digitized तथा (Gio-spatial located) होने आवश्यक हैं।
- Remote sensing imagery तथा Soil Health Card का Integration करने पर बेहतर परिणाम आएंगे।
- RISAT-1 से बाद होने पर भी तथा Real Eye Satellite से प्रत्येक 5 दिवस में Satellite data उपलब्ध हो सकने से ज्यादा बेहतर गुणवत्ता संभव होगी।
- फसल कटाई प्रयोग बहुत बड़ी संख्या में करने पड़ते हैं, परिणाम प्राप्त करने में देरी तथा CCE data digital format में नहीं है।
- AWS कम संख्या में हैं, गलत स्थानों पर स्थापित हैं, पूरी तरह installed हैं अथवा सही triggers नहीं दे पाते हैं।
- चार फसलों के लिए कपास, गेहूं, धान, सरसों की फसल की स्थिति मध्यप्रदेश को महलोबिस National crop forecast center, GOI द्वारा real - time में उपलब्ध है।
- Current season remote sensing data के आधार पर कम किन्तु गुणवत्ता पूर्ण CCE चयन कर सकते हैं। field data collection module से android फोन से degital photo भेजे जा सकते हैं, जो भुवन (Geo-spatial integration Platform) में सीधे display हो सकते हैं।
- Constellation of high resolution satellites के उपयोग के लिए ISRO से अनुरोध किया जावे। इसे usable crop estimate parameters के models develop किए जाने से बिना expert के द्वारा भी crop yield estimation संभव हो सकेगा।
- मौसम आधारित फसल बीमा योजना में मौसम के अनेक parameters शामिल किए जाना चाहिए। मौसम के निर्धारित parameters प्रत्येक ग्राम/ग्राम पंचायत के level पर उपलब्ध होना चाहिए।
- Model Farm Gates के औसत निकालने के लिए मण्डियों (APMCs) का कम्प्यूटरीकरण किया जाना आवश्यक है।
- Multi Peril Crop Insurance (MPCI) के साथ ही कम APR (वास्तविक प्रीमियम दरों) पर single-Peril Crop Insurance अनेक देशों में प्रदान किया जाता है।
- जलवायु परिवर्तन किसान के कारण नहीं हो रहा है, तब भी गैर किसानों द्वारा किए गए कृत्यों से होने वाले जलवायु परिवर्तन की सबसे ज्यादा मार किसान को ही सहनी पड़ती है। अतः APR में

से बहुत सारा भार उस पर पड़ना ही नहीं चाहिए।

- यूरोप के अनुभव के आधार पर Centralized rate (APR)-making (निर्धारित) कर बीमा कम्पनियों के मध्य competition APR की दरों की बजाए Centralized निर्धारित APR पर services की प्रदायगी पर कराया जा सकता है।
- परम्परागत खेती में सामान्यतया प्रति हैक्टेयर वास्तविक प्रीमियम दरें (यदि सामान्य उत्पादकता के आधार पर उत्पादित जिन्स की कीमत को बीमित किया जाना है तो) लगभग रु. 1400 से रु. 1600 प्रति हैक्टेयर आएगी।
- यूरोप के अधिकांश देशों में तकनीकों के इस्तेमाल से दावे/पे आउट फसल नुकसानी के 40-60 दिनों में कर दिए जाते हैं।
- अमेरिका में 19 प्रायवेट कम्पनियां फसल बीमा में कार्यरत हैं। जिन्हें Federal Government Bank द्वारा RMA (Risk management Agency की तरह govern किया जाता है। प्रीमियम दरें सरकार द्वारा नियत की जाती हैं तथा बीमा कम्पनियां उक्त दरों पर अपनी services बेचती है।
- दक्षिण अमेरिका में कई छोटे किसान आय जोखिम की बीमा योजनाओं की जगह कम APR वाली बड़े जोखिम की बीमा योजना (Catastrophe insurance) को अपनाते हैं।
- फिलीपिन्स में 100% प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है तथा बीमा योजना का क्रियान्वयन गैर-सरकारी बीमा कम्पनियों द्वारा किया जाता है।
- थाईलैण्ड में धान के लिए सरकार द्वारा Thai Rice Disaster Relief Programme के साथ PPP मोड पर National Premium पर Top-up payout की तर्ज पर फसल बीमा योजना बनाने पर विचार किया जा सकता है।
- चीन में सरकार तय करती है कि कौन किसान क्या बोएगा। चीन की सरकार द्वारा राज्यों के लिए प्रायवेट बीमा कम्पनियों को लायसेंस दिए जाते हैं।
- जापान में फसल बीमा पूर्णतः सरकारी तौर पर किया जाता रहा है। निजी बीमा कम्पनियों की सहभागिता विगत तीन वर्षों से ही प्रारंभ की गई है।
- ऑस्ट्रेलिया में समस्त फसल बीमा का कार्य प्रायवेट बीमा कम्पनियों के हाथों में है।
- कोई भी फसल बीमा योजना साधारणतया ऐसी नहीं बन सकती जिसमें दावा/पे आउट बीमा कम्पनी द्वारा कुल जमा प्रीमियम का 80% से अधिक हो। बीमा कम्पनियां फसल बीमा में तभी हिस्सेदारी लेंगी, जब उसमें उन्हें फायदा होगा।
- Crop Yield Estimation के लिए फसल कटाई प्रयोग अथवा रिमोट सेंसिंग तकनीकी से ज्यादा प्रभावी Community-based evaluation हो सकता है। समाज/समुदाय के संभ्रान्त नागरिकों के ग्रामवार समूहों को यह काम सौंपा जा सकता है।
- चीन, जापान आदि देशों में जब स्थानीय grass root संस्थाओं के crop yield loss/1st Report of damage के लिए अधिकृत किया जा सकता है तो हमारे देश में संविधान द्वारा गठित स्वायत्तशासी ग्राम पंचायतों को इस काम से बिल्कुल अलग-थलग किया जाना अनुचित है।
- GPS-logged Android phone या hand-held devices से किए गए digital photographs का उपयोग crop yield में बेहतर ढंग से किया जा सकता है।
- Reinsurance Corpus Fund को केन्द्र/राज्य को बनाना होगा, तभी बीमा कम्पनियां फसल बीमा के क्षेत्र में पूरी तरह से सहभागी बन सकेंगी।
- Standard Reinsurance Agreement तथा उसके Protocoal को स्पष्ट परिभाषित करना आवश्यक है।
- Chinese Agricultural Reinsurance Pool की तर्ज पर हमारे देश में भी इस प्रकार के Pool (Corpus fund) बनाने पर विचार किया जाना चाहिए।
- इस्राइल के KANAT की तरह राज्य सरकार तथा मण्डी बोर्ड की 50-50% सहभागिता से संस्था गठित कर MPCI (Multi Peril Crop Insurance) तथा NDI (Natural Disaster Insurance) प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से उक्त संस्था द्वारा बीमा कम्पनी से क्रय कर किसानों को full coverage की स्कीम प्रदाय करने पर विचार किया जा सकता है। अथवा उक्त संस्था ही प्रदेश के समस्त किसानों को minimum guaranted आय को बीमा के माध्यम से अथवा राहत राशि के माध्यम से सुनिश्चित करने पर विचार कर सकती है।
- राज्यों के भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण 10 किलोमीटर Radius के AWS की स्थापना, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ARG की स्थापना, रिमोट सेंसिंग डाटा की उपलब्धता, GPS-logged digital Photograps की व्यवस्था, मण्डियों के कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था आधारभूत संरचना के रूप में करनी होगी। Yield loss तथा Revenue loss की गणना में उक्त तकनीकों का इस्तेमाल % Joint survey teams के साथ किया जाना चाहिए।

खेती में नई तकनीक और योजनाओं का विस्तार

मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। प्रदेश की कृषि विकास दर देश ही नहीं दुनिया में सर्वाधिक है। यह संभव हुआ है प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के संकल्प से। कृषि के क्षेत्र में किये गये प्रयासों का परिणाम है कि मध्यप्रदेश को विगत तीन वर्षों से कृषि कर्मण अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। कृषि क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति को निरन्तर रखने और किसानों को उन्नत तकनीक कृषि क्षेत्र के विविध पक्षों और योजनाओं की जानकारी देने के साथ सीधे संवाद के लिए 25 मई से 20 जून तक कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के समापन अवसर पर 20 जून को किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे केन्द्रीय पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी। महासम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि को उद्योगों से जोड़ने का आह्वान किया। महासम्मेलन की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत है कृषि महोत्सव से प्राप्त उपलब्धियाँ।

किसान महासम्मेलन

मध्यप्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछेगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 जून को नरसिंहपुर जिले के करेली में कृषि महोत्सव के राज्य-स्तरीय समापन अवसर पर किसान महासम्मेलन में कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को बोनस के बेहतर विकल्प के रूप में खाद-बीज के लिए एक लाख रुपये के ऋण पर 10 हजार रुपये सरकार द्वारा वहन किए जायेंगे। किसान को सिर्फ 90 हजार रुपये लौटाने होंगे। फसल क्षति की भरपाई और किसानों को प्रति एकड़ न्यूनतम आय सुनिश्चित कराने के लिए नई फसल बीमा योजना बनाने के लिए केन्द्र के सहयोग से मध्यप्रदेश में गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं।

सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे केन्द्रीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी। इस अवसर पर 29 करोड़ 52 लाख 12 हजार रुपये के 33 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया गया। महासम्मेलन में जिले के 12 प्रगतिशील किसानों को केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी और मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सम्मानित किया गया।

किसान महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि को उद्योगों से जोड़ा जायेगा। उन्होंने मंशा व्यक्त की कि प्रदेश में कृषि पर आधारित लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछे। उद्योग लगाने में प्रदेश के युवा आगे आयें। युवाओं को तकनीक, मार्केटिंग और पूँजी जैसी सहूलियतें सरकार उपलब्ध करवायेगी। बैंक ऋण की गारंटी भी सरकार लेगी। किसान परंपरागत खेती के साथ-साथ फल, फूल, सब्जी, औषधीय पौधों की खेती को अपनायें, ताकि किसान की आमदनी बढ़े।

मध्यप्रदेश में लोगों को सड़क की बेहतर सुविधा के लिए डामर के स्थान पर सीमेन्ट-क्रांकीट की सड़कें बनाई जायेंगी। ये सड़कें वर्षों तक चलेंगी और उनके रख-रखाव पर कम खर्च होगा। आगामी समय में केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में 50 हजार करोड़ रुपये की लागत की सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरसिंहपुर जिले के रीछई बाँध की मरम्मत और नहरों के विस्तार के लिए परीक्षण करवाकर आवश्यक पहल की जाएगी।

सम्मेलन के मुख्य अतिथि केन्द्रीय पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन

कृषि महोत्सव 2015 की उपलब्धियां

- मृदा परीक्षण के लिए 274647 मिट्टी के नमूने लिये गये।
- सूरज धारा योजना अंतर्गत 76304 अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत 64953 तथा बीज ग्राम योजना अंतर्गत 18222 कृषि किट का वितरण किया गया।
- बलराम तालाब योजना के 2127 नवीन कार्यों का शुभारंभ किया गया।
- 313 कृषि क्रान्ति रथ (प्रत्येक विकासखंड में 1) द्वारा 20466 ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया गया।
- भ्रमण के गांवों में वितरित 32597 स्प्रिंकलर का तथा 5632 ड्रिप का भौतिक सत्यापन किया गया।
- भ्रमण के गांवों में 2662 बलराम तालाब योजना के कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया।
- उद्यानिकी विभाग द्वारा भ्रमण के गांवों में वितरित 14502 ड्रिप, 486 पॉली हाउस तथा 472 ग्रीन हाउस का भौतिक सत्यापन किया गया।
- विशेष पोषण दिवस में 2581.38 क्विंटल अनाज एकत्रित किया गया।
- मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना के 917 दलों के भ्रमण आयोजित कर 32553 कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- 8280 बांझपन निवारण शिविर आयोजित कर 119935 पशुओं का बांझपन निवारण किया गया।
- 1253781 पशु औषधि एवं मिनरल मिश्रण के वितरण से लाभान्वित किये गये।
- 2315848 पशु टीकाकरण, 72002 पशुबधियाकरण तथा 170573 कृत्रिम गर्भाधान किया गया।
- 324 नवीन दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन किया गया।
- 883541 पशुओं का उपचार किया गया।
- 280477 किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण किया गया।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत 272934 कृषक एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत 515360 कृषक तथा अटल पेंशन योजना अंतर्गत 20037 कृषक लाभान्वित किये गये।
- 62085 खेतों के स्थाई पंप कनेक्शन दिये गये।
- मेरा खेत-मेरी माटी योजना के 37499 निर्माणाधीन कार्य पूर्ण किये गये।
- 91956 खसरा-खतौनी वितरण, 9556 अविवादित नामांतरण, 9732 फौती नामांतरण, 3784 अविवादित बँटवारा तथा 4997 लंबित सीमांकन प्रकरणों का निराकरण किया गया।
- 20297 (हैक्टेयर में) कमाण्ड एरिया की बढ़ोत्तरी की गई।
- 193396 वनपौधों का (सशुल्क) वितरण किया गया।
- 2611 मछुआ क्रेडिट कार्डों का वितरण किया गया।

गडकरी ने कहा कि केन्द्र सरकार का नया भूमि अधिग्रहण कानून किसानों के हित में है। केन्द्र की सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी, जो किसानों के हित के प्रतिकूल हो। केन्द्रीय मंत्री ने मध्यप्रदेश में कृषि के विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि विकास के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में अव्वल राज्य है। प्रदेश की 23 प्रतिशत कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक है। उन्होंने किसानों को खेती-किसानी की आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए कहा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा कूड़ा- कर्कट से वर्मी कल्चर बनाने और किसानों द्वारा मधुमक्खी पालन कर शहद संग्रहण करने की योजना तैयार की जा रही है। केन्द्रीय मंत्री ने जिले केकेरपानी में और दूधी नदी पर पुल का निर्माण करवाने की घोषणा की।

प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा ने बताया कि 25 मई से 20 जून तक कृषि महोत्सव के दौरान 21 हजार 600 ग्राम पंचायतों में कृषि क्रांति रथों द्वारा भ्रमण किया गया। करीब 85 लाख किसानों को खेती की नवीन तकनीकों की जानकारी दी गई। साढ़े 8 लाख पशुओं का उपचार किया गया।

मध्यप्रदेश में कृषक उत्पादक कम्पनियाँ

मध्यप्रदेश में किसानों द्वारा निर्मित कृषक उत्पादक कम्पनियों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने से लेकर कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में अहम भूमिका निभाई है। इन उपलब्धियों को देख किसानों की सोच में बदलाव आया है। मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहाँ सर्वाधिक कृषि उत्पाद संगठनों का गठन किया गया है। ये संगठन बीज उत्पादन, दुग्ध उत्पादन व अन्य क्षेत्रों में मध्यप्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये कृषि उत्पाद संगठन कृषकों की उपज को सीधे बाजार से जोड़ने के साथ उन्हें यथायोग्य दाम भी दिलवाते हैं। इन संगठनों द्वारा किसानों को आवश्यक सुविधाएँ, वित्तीय सहायता तथा कार्य की विशेषज्ञता और प्रामाणिकता कौशल प्राप्त करने में सहयोग मिलता है।

मध्यप्रदेश में छोटे किसानों ने मिलकर उत्पादक कम्पनियों का निर्माण किया है। इन कृषि उत्पादक संगठनों के कार्यों के अनूठे परिणाम निकलकर आये हैं। किसानों द्वारा निर्मित इन कम्पनियों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने से लेकर कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में अहम भूमिका निभाई। इन उपलब्धियों को देख किसानों की सोच में बदलाव आया है। मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहाँ सर्वाधिक कृषक उत्पादक कम्पनियों का गठन किया गया है। ये कम्पनियाँ बीज उत्पादन, दुग्ध उत्पादन व अन्य क्षेत्रों में मध्यप्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। ये कृषि उत्पाद संगठन कृषकों की उपज को सीधे बाजार से जोड़ने के साथ उन्हें यथायोग्य दाम भी दिलवाते हैं। इन संगठनों द्वारा किसानों को आवश्यक सुविधाएँ वित्तीय सहायता तथा कार्य की विशेषज्ञता और प्रामाणिकता कौशल प्राप्त करने में सहयोग मिलता है।

कृषि क्षेत्र के विविध पक्षों को नए आयाम देने और विस्तारित करने के लिए विगत दिनों मध्यप्रदेश में 25 मई से 20 जून तक कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें 29 मई को उज्जैन में कृषि उत्पादन संगठनों के महासम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की प्रोड्यूसर कम्पनी को सार्वजनिक उपक्रम को मिलने वाली सरकारी सुविधाएँ देने, खाद्य प्रसंस्करण इकाई को 40 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की घोषणा की। फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियों तथा अन्य क्रेता विक्रेताओं के मध्य एम.ओ.यू. एक्सचेंज हुए। सहकारी समितियों को बीज उत्पादक लायसेंस, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए गये। वर्तमान में प्रदेश के 29 जिलों में 64 कृषक उत्पादक संगठन कार्यरत हैं। इन संगठनों को संस्थागत रूप देने का कार्य अशासकीय स्तर पर मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ कामर्स प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में किसानों की क्राप प्रोड्यूसर कंपनियों की स्थापना सबसे पहले जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (डी.पी.आई.पी.) द्वारा की गयी। उल्लेखनीय है कि जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के चयनित 14 जिलों में आरंभ में 19 क्राप प्रोड्यूसर कंपनियां गठित की गयीं। अब इनकी संख्या 26 है। मुख्य बात यह है कि इनमें कम्पनी के शेयर होल्डर से लेकर संचालक मण्डल तथा अध्यक्ष तक गाँव के छोटे और गरीब किसान शामिल हैं। इन कृषक उत्पादक कम्पनियों के गठन का मूल उद्देश्य कृषि व्यवसाय को व्यापारिक उद्योग का दर्जा दिलाने के साथ छोटे किसानों की आजीविका में सुधार लाना है। अपने लक्ष्य के अनुरूप कम्पनी ने लघु व सीमान्त कृषक तथा उत्पादक कम्पनी के सभी शेयर धारकों की आय में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया है।

उत्पादक कम्पनियाँ - उत्पादक कंपनियाँ कम्पनी अधिनियम 1956 या उत्पादक कम्पनी संशोधन अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत प्राथमिक उत्पादकों में से एक कानूनी संघ है। इन कम्पनियों में वे लोग शामिल हैं जो मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पादों के कार्य में सम्मिलित हैं।

उत्पादक कम्पनियों के गठन की पहल मध्यप्रदेश राज्य में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के माध्यम से परियोजना के प्रथम चरण वर्ष 2005 में हुई थी। जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना विश्व बैंक द्वारा पोषित महत्वाकांक्षी परियोजना थी। मध्यप्रदेश कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है। प्रदेश की कृषि के माध्यम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में विशेष भागीदारी भी है। इसीलिए जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के 14 जिलों में किया गया था। परियोजना के माध्यम से इन 14 जिलों में 16 उत्पादक कम्पनियों का गठन किया गया जिसमें मुख्यतः प्रत्येक जिले में कृषि आधारित उत्पादों के लिये एक उत्पादक कम्पनी है। परियोजना द्वारा ग्राम स्तर पर ही बाजार संचालित कर आजीविका तथा आय अर्जन के लिये समग्र और वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाया गया। कृषक उत्पादक कम्पनियों के गठन के लिये आशा संस्था (Ation for Social Advancement) से विशेष सहयोग लिया गया। गठित उत्पादक कम्पनियों में 15 उत्पादक कम्पनियां कृषि आधारित व्यवसाय एवं 01 उत्पादक कम्पनी दुग्ध आधारित थी। मध्यप्रदेश स्व-सहायता समूह संवर्धन नीति 2007 के तहत गठित विभिन्न कम्पनियों को राज्य शासन द्वारा कार्यशील पूंजी तथा प्रशासनिक व्यय की मदद प्रदान की गई है।

उद्देश्य

- बीज उत्पादन एवं बीज प्रतिस्थापन- कम्पनी का मुख्य उद्देश्य शेयर धारकों तथा लघु सीमान्त कृषकों को बीजों की विभिन्न प्रजातियों का ज्ञान कराते हुए उत्पादन में वृद्धि करवाना।
- उत्पादक कम्पनियों के शेयर धारकों तथा लघु सीमान्त कृषकों को उचित

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित विभिन्न उत्पादक कंपनियाँ

क्र.	जिला	कंपनी का नाम
1	रायसेन	लव-कुश प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
2	राजगढ़	खुजेनर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
3	विदिशा	सिरोंज क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
4	दमोह	गोविन्द सीड प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
5	मंडला	कान्हा कृषि वन उपज उत्पादक प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
6	डिंडौरी	प्राकृत उन्नति आजीविका फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
7	सागर	सागर समृद्धि प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
8	शिवपुरी	हरदौल एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
9	शिवपुरी	हरदौल दुग्ध प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
10	पन्ना	कर्णावती एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
11	सीधी	चुरहट एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
12	नरसिंहपुर	नरसिंह फार्मर्स क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
13	गुना	नेशकला क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
14	टीकमगढ़	राम राजा क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
15	आगर मालवा	समर्थ किसान प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
16	रीवा	रीवा क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
17	छतरपुर	खुजराहो प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
18	छतरपुर	नौ गाँव क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
19	श्योपुर	आजीविका प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
20	रायसेन	साँची स्माल होल्डर अंडा उत्पादक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
21	सीधी	मध्यप्रदेश महिला पोल्ट्री प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
22	शाजापुर	एकता संतरा उत्पादक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
23	सागर	सागर श्री महिला दुग्ध उत्पादक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
24	शहडोल	किसान बीज उत्पादक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
25	बड़वानी	पहल फार्मर्स क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
26	धार	हरिओम आजीविका क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

दरों पर बीज, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, कृषि उपकरण आदि उत्पाद उपलब्ध करवाना।

- शेयर धारकों तथा लघु सीमान्त कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उपज को उचित दर पर क्रय सुनिश्चित करना ।
- शेयर धारकों तथा लघु सीमान्त कृषकों को विभिन्न कृषि तकनीकों के ज्ञान के लिये भ्रमण करवाना।

वर्तमान में 26 उत्पादक कम्पनियों के माध्यम से लगभग 50 हजार शेयर धारकों तथा लघु सीमान्त कृषक परियोजना क्षेत्र अंतगत लाभान्वित हो रहे हैं। 18 उत्पादक कम्पनियाँ कृषि आधारित गतिविधियों के लिये, 02 उत्पादक कम्पनियाँ दुग्ध व्यवसाय आधारित, 02 उत्पादक कम्पनियाँ पोल्ट्री व्यवसाय आधारित, 03 उत्पादक कम्पनियाँ लघु वनोपज एवं 01 उत्पादक कम्पनी संतरा उत्पादन के क्षेत्र में किसानों के हित में कार्य कर रही हैं। 36 महिला सदस्य इन उत्पादक कम्पनियों के निदेशक मण्डल में है। इसके अतिरिक्त 02 पोल्ट्री उत्पादक कम्पनी सीधी तथा रायसेन, 02 दुग्ध उत्पादक कम्पनियां शिवपुरी एवं सागर तथा 01 लघु वनोपज आधारित उत्पादक कम्पनी का गठन विशेषकर महिलाओं द्वारा किया गया है जिसमें वर्तमान में तकरीबन 11,616 महिला सदस्य इन कम्पनियों की शेयर धारक हैं। समय-समय पर इन शेयर धारकों एवं निदेशक मण्डल सदस्यों के क्षमतावर्द्धन के लिये विभिन्न कृषि संस्थानों जैसे - NIAM एवं जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों में आयोजित विषयों पर प्रशिक्षण तथा भ्रमण करवाया गया है। तकनीकी एवं वाणिज्यिक केन्द्र खोले जाने के लिये सिंजेटा इण्डिया लिमिटेड से अनुबंध स्थापित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुसार इन समस्त उत्पादक कम्पनियों का कुल व्यवसाय लगभग 135 करोड़ रुपये रहा। कम्पनियों द्वारा वित्त वर्ष में शुद्ध लाभ के रूप में 123 लाख रुपये अर्जित किए गए। मध्यप्रदेश महिला पोल्ट्री उत्पादक कम्पनी की विभिन्न समितियाँ चुरहट (सीधी), केसला (होशंगाबाद), ओरछा (टीकमगढ़), जतारा (टीकमगढ़), राजनगर (छतरपुर), लटेरी (विदिशा), देवरी (सागर) एवं डिण्डौरी द्वारा विगत वर्ष में तकरीबन 13487 लाख का कुल व्यवसाय किया गया था जिसमें 884 लाख राशि संबंधित शेयर धारकों को वितरित की गई।

इसी प्रकार हरदौल दुग्ध उत्पादक कम्पनी का द्वितीय वर्ष में कुल व्यवसाय 97.28 लाख का रहा है। वर्ष 2014 में गठित सांची स्माल होल्डर पोल्ट्री उत्पादक कम्पनी का पिछले वर्ष तकरीबन 119.29 लाख का व्यवसाय रहा। मण्डला, डिण्डौरी एवं श्योपुर में गठित उत्पादक कम्पनियों द्वारा कोदो कुटकी एवं लघु वनोपजों में विशेष कार्य किया गया। राज्य स्तरीय उत्पादक कम्पनियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा समर्थ किसान कृषि उत्पादक कम्पनी - आगर-मालवा तथा हरदौल कृषि उत्पादक कम्पनी - शिवपुरी को राज्य में उत्तम कार्य किए जाने पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है।

कृषक उत्पादक कम्पनियों के साथ बीज पाने से बेचने तक का सफर

कृषक उत्पादक कंपनियों का मुख्य कार्य बीज उत्पादन कार्यक्रम है। इस कार्य में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 90% उत्पादक कंपनियां संलग्न हैं। समस्त उत्पादक कंपनियां सर्वप्रथम अपने सर्विस प्रदाताओं के माध्यम से किसानों की मांग (ब्रीडर बीज) को कंपनी तक पहुंचाती हैं तत्पश्चात कंपनी एकत्र की हुई ब्रीडर बीज की मांग को जिला इकाई को प्रेषित करती है। इस प्रकार समस्त जिलों द्वारा रबी तथा खरीफ की पृथक फसलों के लिए ब्रीडर बीज को राज्य परियोजना इकाई संकलित कर संयुक्त संचालक (बीज) संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रेषित करती है। मांग अनुसार ब्रीडर बीज की उपलब्धता होने पर भारत सरकार, कृषि विभाग ब्रीडर बीज का आवंटन संबंधित संस्थान द्वारा किए जाने के लिए निर्देशित करती है। पुनः राज्य परियोजना इकाई द्वारा संबंधित कृषक उत्पादक कंपनियों को ब्रीडर बीज आवंटन अनुसार उठाने के लिये निर्देशित किया जाता है। इस प्रकार मध्यप्रदेश शासन कृषि विकास विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर ही उठाए गए ब्रीडर बीज को संबंधित किसानों को बोवनी के लिए विक्रय किया जाता है। कंपनी इस दौरान विक्रय बीज पर होने वाले परिवहन व्यय को ही अपने कृषकों से वसूलती है। इस प्रकार नई उन्नत प्रजाति का बीज कृषक उत्पादक कंपनियों के माध्यम से सीधा किसानों तक पहुंच जाता है।

बीज प्रतिस्थापन - जब किसान को ब्रीडर बीज रबी और खरीफ में उपलब्ध करवाया जाता है तो कृषक द्वारा बोवनी की जाती है। उक्त फसल तैयार होने पर जितना बीज किसान को दिया गया था उतनी ही मात्रा में दिए गए अनुबंध अनुसार क्रय किया जाता है। फिर इस बीज को कृषक उत्पादक कंपनियों द्वारा सीड ग्रेडर के माध्यम से छंटाई कर संबंधित कंपनी द्वारा अपना स्वयं के नाम का बीज उत्पादित किया जाता है। पैक किए गए समस्त बीज का सेंपल मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को प्रेषित किया जाता है। तत्पश्चात संस्था के अधिकारी द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के आधार पर संबंधित लाट को विक्रय के लिये अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार ब्रीडर बीज (प्रजनक बीज) से तैयार फाउंडेशन शीड (आधार बीज) तैयार कर किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। इस प्रकार से कृषक उत्पादक कंपनियों द्वारा आधार बीज 1 तथा 2 और प्रमाणित बीज 1 तथा 2 तैयार कर किसानों को उन्नत प्रजाति के बीजों का विक्रय सुनिश्चित किया जाता है। इन सबसे अच्छी बात यह है कि मध्यप्रदेश राज्य को विगत 3 वर्षों से कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हो रहा है इनमें इन कृषक उत्पादक कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फर्टिलाइजर्स पेस्टीसाइड्स आदि रसायनों का विक्रय - मुख्यतः बीज उत्पादन तथा बीज प्रतिस्थापन के अतिरिक्त इन कृषक उत्पादक कंपनियों द्वारा कार्यालयीन तथा प्रशासनिक व्ययों के खर्चों को समायोजित करने के लिये विभिन्न प्रकार के रसायनों, कीटनाशकों, कृषि उपकरणों की एजेंसी ली गई है।

इन समस्त सामग्रियों को बाजार में उचित दर पर लघु व सीमांत कृषकों को कंपनियों द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। कम्पनियों द्वारा बीज उपलब्ध करवाने को लेकर परमेश्वर दास, अध्यक्ष, लवकुश क्राप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का कहना है कि पहले हम छोटे रूप से खेती किसानी किया करते थे लेकिन कंपनी गठन के बाद आज हम गाड़ियों से सब्जियां, फसलों को सीधे मंडी में ले जाकर बेचा करते हैं। कंपनी से हमें एवं बाकी किसानों को नवीन प्रजातियों के बीज बोवनी के लिये मिल जाते हैं जिससे हमारी पैदावार भी बढ़ गई है।

● ओमप्रकाश बेदुआ

उत्कृष्ट कार्य को मिला सम्मान

हरदौल कृषि एवं विपणन उत्पादक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शिवपुरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनीत कुमार शर्मा से बातचीत

शिवपुरी जिले में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के सहयोग से वर्ष 2006 में स्थापित हरदौल कृषि एवं विपणन उत्पादक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का वर्तमान में टर्न ओवर 2 करोड़ 92 लाख है तथा 5 लाख अधिकृत पूंजी के साथ कंपनी सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इस कम्पनी के कार्य की उत्पादकता को देखते हुए 20 मई 2015 को कृषि उत्पादक कम्पनियों से प्रथम संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। हरदौल कृषि एवं विपणन उत्पादक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शिवपुरी के कार्य और विस्तार को लेकर मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए बातचीत की।

वित्तीय स्थिति

वर्ष	कुल बिक्री (रु. में)	सकल लाभ (रु. में)	शुद्ध लाभ (रु. में)
2006-07	2190000	40869	950
2007-08	4242459	60409	71813
2008-09	7885224	1178601	119073
2009-10	11021470	1092859	482854
2010-11	20008000	2266961	556601
2011-12	19997000	3181000	668000
2012-13	36417000	4182000	1217000
2013-14	40223000	5014000	1619000
2014-15	23200000 (अनु.)	3200000 (अनु.)	2100000 (अनु.)

किसानों को सस्ते प्रामाणिक बीज दिलाने तथा प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गयी कम्पनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) श्री विनीत कुमार गुप्ता से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि हमारे शेयर धारकों की संख्या 2163 है। हमने जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत 26 लाख वर्किंग केपिटल से व्यापार शुरू किया था अब कम्पनी के पास एक करोड़ का फिक्स

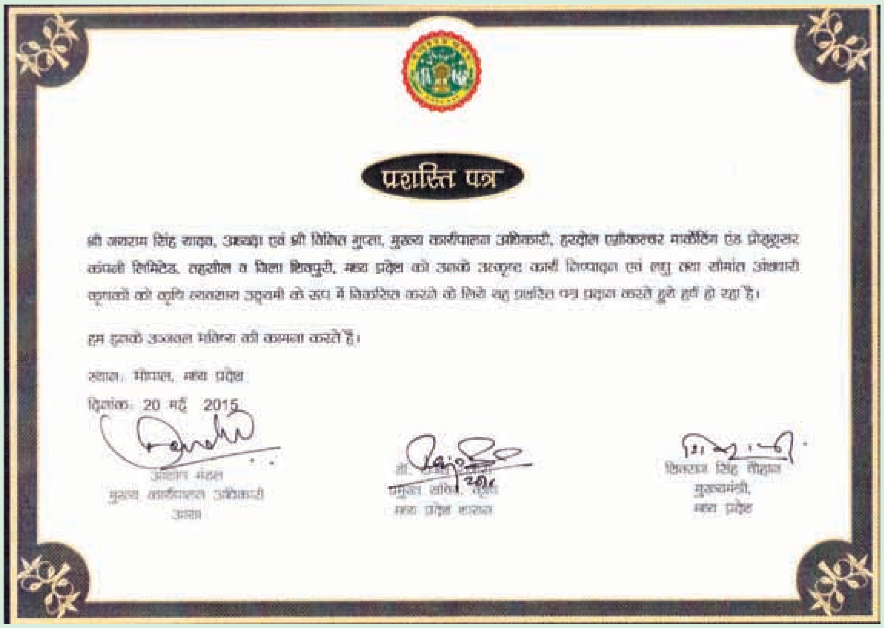
प्रशस्ति पत्र

श्री जयराम सिंह यादव, अध्यक्ष एवं श्री विपिन गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, हरदौल एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, तहसील व जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश को उनके उत्कृष्ट कार्य निष्पादन एवं लघु तथा सीमांत अंशधारी कृषकों को कृषि व्यवसायी उद्यमी के रूप में विकसित करने के लिये यह प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुये हर्ष हो रहा है।

हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

स्थान: भोपाल, मध्य प्रदेश

दिनांक: 20 मई 2015

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

प्रमुख सचिव, कृषि
मध्य प्रदेश शासन

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री,
मध्य प्रदेश

कम्पनी का विवरण

1	निगमन की तारीख	01.05.2006
2	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U1403MP2006PTC18624
3	निदेशक मंडल	11 (03 पुरुष एवं 08 महिला)
4	बीओडी बैठक आयोजित	48
5	वार्षिक आम बैठक	08
6	शेयर धारकों की संख्या	2163
7	अधिकृत पूंजी (रु. में)	5.00 लाख
8	शेयर पूंजी (रु. में)	2.92 लाख

डिपाजिट है तथा चार करोड़ का सालाना व्यवसाय होता है। हमारा मुख्य कार्य सीड प्रोडक्शन है। हमारी कम्पनी से सीड प्रोडक्शन को लेकर 300 किसान जुड़े हैं जिन्हें 20 से 30 हजार का अतिरिक्त लाभ प्रतिवर्ष हो रहा है। हमारी कम्पनी जबसे बनी है तभी से निरन्तर लाभ में रही है। अभी हम 7 से 8 लाख का इन्कमटेक्स जमा करते हैं। अभी किसानों को कम्पनी के माध्यम से फर्टीलाइजर, सीड तथा, पेस्टिसाइड सरकारी सब्सिडी पर दिया जाता है। शुरुआत में हमने मदद ली लेकिन 2012 के बाद कम्पनी ने सरकार से अनुदान आदि के रूप में कोई फण्ड नहीं लिया है। हमारी कंपनी आत्मनिर्भर है। कम्पनी स्वयं की आय से इन्फ्रास्ट्रक्चर और कम्पनी के लोगों का वेतन आदि प्रदाय कर रही है। 30 गांवों में सर्विस प्रोवाइडर हैं। हर गाँव में 8 लेबर और 50 लोगों का रोजगार उत्पन्न होता है। कम्पनी द्वारा गाँव के लघु व सीमान्त किसान लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों की आय बढ़ी है। गाँव के लोगों का सामाजिक स्तर सुधरा है। आय बढ़ने से किसान अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा व्यय करते हैं। कुल मिलाकर जागरूकता बढ़ी है। बच्चों को पढ़ने के लिए अब गाँव से तहसील स्तर तक भेजा जा रहा है। श्री गुप्ता ने बताया कि यहाँ की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है वे स्वयं आकर खाद बीज लेती हैं और सीधे बाजार से अपनी आय का विपणन करती हैं। हमारे यहाँ महिलाओं की 40% से अधिक भागीदारी है। युवाओं को कृषि विज्ञान केन्द्र और कृषि विभाग के सहयोग से खेती में वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे युवाओं का खेती के प्रति रुझान बड़ा है। खास बात यह है कि तकनीकी जानकारी होने से खेती का कार्य परिष्कृत हुआ है। तकनीकी जानकारी मिलने पर गाँवों में मशीनों का चलन बढ़ा है। हरदौल कृषि एवं विपणन उत्पादक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड शिवपुरी से चर्चा करने पर एक बात साफ है कि अब मध्यप्रदेश में किसान अपनी उत्पादक कम्पनी चला रहा है, वह जानकारियों और नई तकनीक को आत्मसात कर रहा है। कृषि क्षेत्र में मेक इन मध्यप्रदेश के सकारात्मक परिणाम हमारे सामने हैं।

● अर्चना शर्मा

किसान हित में सराहनीय कार्य को सम्मान

समर्थ किसान प्रोड्यूसर कम्पनी आगर मालवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रामसिंह से बातचीत

आगर मालवा जिले में बीज उत्पादन को बढ़ावा देने तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि कार्य करने के लिए समर्थ किसान प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का गठन 11 जुलाई 2006 को किया गया था। कंपनी के वर्तमान मे 6552 शेयर धारक हैं। कंपनी 9.17 लाख शेयर पूँजी एवं 15.00 लाख अधिकृत पूँजी के साथ सफल कार्य कर रही है। कंपनी द्वारा विविध क्षेत्रों में कार्य कर लाभ अर्जित किया जा रहा है। कंपनी द्वारा इस वर्ष लगभग 4.5 करोड़ रुपए का व्यापार किया गया जो कि किसानों के हित में सराहनीय है। कम्पनी के कार्यों को देखते हुए वर्ष 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कंपनी को किसानों के हित में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

समर्थ किसान प्रोड्यूसर कम्पनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रामसिंह ने चर्चा के दौरान बताया कि हमने राज्य जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत कार्य शुरू किया था। कम्पनी का गठन 11 जुलाई 2006 में हुआ। हमारी किसान प्रोड्यूसर कम्पनी का मूल उद्देश्य छोटे किसानों के लिए कार्य करना है। हमारी कम्पनी में डायरेक्टर से लेकर अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति किसान ही है। हम मुख्यत: वेल्यू एडीशन का काम करते हैं। छोटे किसानों द्वारा ग्रेन को सीड में कन्वर्ट करना और किसानों के बीज के लिये मार्केट लिंक करने में हमारी मुख्य भूमिका रहती है।

ग्रेन से सीड बनाने की पूरी प्रक्रिया में हम पहले किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। किसानों के लिए ब्रीडर सीट अलाट करवाकर किसान के खेत में लगाते हैं और इसकी लगातार मॉनीटरिंग करते हैं। फसल उत्पादन के बाद मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से सर्टिफिकेशन किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में हम किसानों के साथ चलते हैं। कार्यक्षेत्र के बारे में चर्चा करने पर श्री अमर सिंह ने बताया कि हम आगर जिले के 171 गांवों में कार्य कर रहे हैं, हमारे साढ़े छह हजार सदस्य हैं। हमारे क्षेत्र का वेल्यू एडीशन किया हुआ सोयाबीन विदेशों तक जाता है। हम ब्राजील से संपादित राउण्डेबल रिस्पांसिबल सोया (आर.टी.आर.एस.) कार्यक्रम से वर्ष 2008 से जुड़े हुए हैं। इससे अब तक 4500 किसानों को लाभ मिला है। हमारे 40 सर्विस प्रोवाइडर हैं जो 180 गाँवों में कार्य कर रहे हैं।

किसानों में प्रोड्यूसर कम्पनी के बनने से क्या परिवर्तन आया है, पूछने पर श्री रामसिंह ने बताया कि पहले हम व्यवस्थित

वित्तीय स्थिति

वर्ष	कुल बिक्री (रु. में)	सकल लाभ (रु. में)	शुद्ध लाभ (रु. में)
2006-07	1256000	88000	- 5000 (हानि)
2007-08	8122000	424000	- 190000 (हानि)
2008-09	15186000	693000	- 590000 (हानि)
2009-10	16864000	1965000	502000
2010-11	18943000	- 524000 (हानि)	49000
2011-12	9259000	1031000	187000
2012-13	18900000	5065000	662000
2013-14	23400000	6400000	2253000
2014-15	45674000	10142000	4000000

आर्थिक उपार्जन से सामाजिक बदलाव आया है

हरदौल मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी शिवपुरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मनु सक्सेना से बातचीत

मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन को लेकर बनने वाली किसानों की कम्पनियों में हरदौल मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी शिवपुरी की अहम भूमिका है। कम्पनी निर्माण और दुग्ध उत्पादन को लेकर हमने कम्पनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनु सक्सेना से बात की। कम्पनी के सी.ई.ओ. मनु सक्सेना ने बताया कि हमने जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत कम्पनी का गठन किया था। दुग्ध उत्पादन को लेकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन कम्पनियाँ सीधे किसानों से दूध खरीदती हैं। दूध की गुणवत्ता को लेकर पूछने पर श्री सक्सेना ने बताया कि देखते-देखते बदलाव आया है। लोगों को उचित दाम मिलने से उनकी सोच में परिवर्तन आया है। पहले वे दूध में पानी मिलाते थे जब हमने उन्हें समझाया कि पानी मिले दूध से पैसे कम मिलते हैं। क्योंकि हम दूध का वहीं इको मिल्क टेस्ट कर मशीन द्वारा जाँच लेते हैं उसी अनुसार भुगतान किया जाता है। यह सब जानकर अब वे लोग दूध में पानी नहीं मिलाते इससे मिलावट पर अंकुश लगा है। लोगों की प्रवृत्ति बदल रही है। परिवर्तन आ रहा है। कम्पनी में महिलाओं की भागीदारी को लेकर

श्री सक्सेना ने बताया कि हमारे काम में महिलाओं की भी भागीदारी है।

हमारी कम्पनी द्वारा 60 गाँवों से दूध एकत्रित किया जाता है। कम्पनी से लगभग 750 लोग जुड़े हैं। हमारा टर्न ओवर अब एक करोड़ 3 लाख रुपये है। हमारा दो करोड़ का टारगेट है जिसे हम जल्द ही पूरा कर लेंगे। दुग्ध विनिमय को लेकर हमने साँची दुग्ध संघ से टाइअप किया है। हम दूध एकत्र कर साँची दुग्ध संघ तक पहुँचाते हैं। दूध क्रय करने को लेकर श्री सक्सेना ने बताया की हम छोटे-छोटे किसानों से सीधे दूध लेते हैं इससे उन्हें वाजिब दाम मिल जाता है। महिलाओं की भागीदारी को लेकर पूछने पर उन्होंने बताया कि महिलाओं की भागीदारी लगभग 70 प्रतिशत है। हमारी कम्पनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीरा बाई लोधी हैं तथा अन्य 10 महिलाएँ भी शामिल हैं। पढ़े लिखे समझदार युवाओं का रुझान भी कम्पनी की तरफ बढ़ा है।

हमारी कम्पनी द्वारा वार्षिक 3 लाख 35 हजार लीटर दूध एकत्र किया जाता है। शुरुआत में हम बड़े दूध वालों से दूध लेते थे फिर हम गाँव वालों से जुड़े और अब सीधे किसानों से दूध लिया जाता है। हमने कम्पनी बनाने से लेकर अब तक परिवर्तन देखा है। आर्थिक उपार्जन से सामाजिक बदलाव आया है। अच्छी बात यह है कि इस कार्य से गाँव के पुरुष, महिलाएं और युवा सभी जुड़ रहे हैं।

• मोहन सिंह पाल

नहीं थे, किसानों को तकनीकी जानकारी नहीं थी। वे बाजार से महंगा बीज खरीदते थे। अब किसान तकनीक से परिचित हैं, सही दाम में बीज उपलब्ध होते हैं और किसानों द्वारा निर्मित बीज का सही मूल्य प्राप्त हो जाता है। हमने केमिकल पेस्टिसाइड के स्थान पर पर्यावरण मित्र पेस्टिसाइड बनाने का कार्य भी शुरू किया है। प्रमुख बदलाव जो दिखाई दिया है वह है जो किसान कल तक आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य से निम्न श्रेणी में थे अब उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया है।

• कुंदा सुकलीकर

विवरण

1	निगमन की तारीख	11.07.2006
2	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	UI1403MP2006PTC18778
3	निदेशक मंडल	12 (11 पुरुष एवं 01 महिला)
4	बीओडी बैठक आयोजित	81
5	वार्षिक आम बैठक	08
6	शेयर धारकों की संख्या	6552
7	अधिकृत पूंजी (रु. में)	15.00 लाख
8	शेयर पूंजी (रु. में)	9.17 लाख

सोयाबीन उत्पादन कार्यक्रम

मध्यप्रदेश कृषि उत्पादन में अग्रणी होने के साथ ही सोयाबीन उत्पादन में भी अग्रणी है। मध्यप्रदेश के किसानों द्वारा विभिन्न उन्नत प्रजातियों के बीजों के माध्यम से खेती को लाभ का धंधा बनाया जा रहा है। सोयाबीन उत्पादन को लेकर मध्यप्रदेश में SOYPSI कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय सोया फोरम (ISF) के समर्थन से एमपीडीपीआईपी द्वारा गठित 09 उत्पादक कंपनियों द्वारा जून 2009 में की गई थी। सोया एसोसिएशन द्वारा सोयाबीन के व्यवस्थित उत्पादन के लिये लघु एवं सीमांत कृषकों को आर्थिक रूप से सक्षम करने का प्रयास किया गया। संस्थान द्वारा सोयाबीन उत्पादन कार्यक्रम पर वैश्विक संवाद किया गया। प्राथमिक उत्पादकों, सामाजिक संगठनों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा संयुक्त रूप से सोया उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से विश्व में होने वाले सोया उत्पादों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये, कार्यक्रम के व्यवस्थित संचालन के लिये संस्थान द्वारा सोयाबीन उत्पादन पर निश्चित मानक तय किए गए हैं।

किसान उत्पादक कम्पनियों के द्वारा बीज, फर्टिलाइजर तथा पेस्टीसाइड आदि के लाइसेंस लिए जा चुके हैं। मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीज प्रमाणित किये जाने के लिये लाइसेन्स लिए गए हैं। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू अदद टैक्स भी कम्पनियों के द्वारा लिए जा चुके हैं। एगमार्क, खाद्य लाइसेंस भी कम्पनियों के द्वारा लिए जा चुके हैं।

सोया उत्पादक समर्थन पहल (Soya Producer Support Initiative) का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के छोटे कृषक एवं मजूदर जो सोया उत्पादन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं को प्रमाणित करते हुए उच्च सोया आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना था। पूर्व से जुड़े हुए सोया क्षेत्र के व्यावसायिक संगठनों के मध्य समन्वय स्थापित कर सोया उत्पादन कार्यक्रम के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करना है। जिम्मेदार सोया उत्पादन प्रसंस्करण एवं व्यापार विकास की प्रक्रिया का मानना है कि इसमें शामिल उत्पादकों एवं प्रसंस्करण कंपनियों के लिए मापदण्ड तय किये जायें।

SOYPSI एक पायलट परियोजना है जिसके माध्यम से 8000 कृषकों एवं 2500 मजदूरों को लक्षित किया गया था जो बड़े कृषकों के यहाँ कार्यरत थे। वर्तमान में यह कार्यक्रम अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे एवं भारत में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिये प्रत्येक देश के उसी क्षेत्र से जिम्मेदार कार्यकर्ता को शामिल किया गया है जो सीधा कृषकों के साथ जुड़ा हुआ हो। शुरुआत में मध्यप्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वारा गठित 05 उत्पादक कंपनियों के साथ यह कार्यक्रम वर्ष 2009 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु आईसीएस का विकास, नवीन कृषि पद्धतियों, उत्पादकों एवं श्रमिकों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन, सामाजिक, लिंग एवं श्रम मुद्दों पर प्रशिक्षण सहायक स्टाफ द्वारा, आंतरिक लेखा परीक्षण एवं बाह्य लेख परीक्षण बाहरी

संस्थान से करवाया जाना था। सोया उत्पादन कार्यक्रम ने परियोजना क्षेत्र में कृषकों के बीच अच्छा प्रभाव उत्पन्न किया था। मुख्यतः कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों में भू-अभिलेख, नवीन कृषि पद्धतियाँ, खेती की कम लागत, कृषि में रसायनों का सुरक्षित उपयोग, कानूनी, सामाजिक एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित हो चुकी है। पुराने तरीके से की जाने वाली कृषि तकनीकों की बजाय किसानों द्वारा नई तकनीकों के माध्यम से कृषि उत्पादन कार्य से किसानों को उचित लाभ प्राप्त हुआ है।

SOYPSI कार्यक्रम म.प्र. जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वारा गठित 09 उत्पादक कम्पनियों द्वारा परियोजना क्षेत्र में 258 ग्रामों के 18130 कृषकों के साथ 23189 हैक्टेयर क्षेत्र में किया गया जो सोया उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य है ।

● हेमलता हुरमाड़े

SOYPSI कार्यक्रम की पहुँच
SOLIDARIDAD संस्था के साथ वर्ष 2013-15

क्र.	शामिल उत्पादक कंपनी का नाम	शामिल गांवों की संख्या	किसानों की संख्या	शामिल सेवा प्रदाताओं की संख्या	कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1.	समर्थ कम्पनी	60	5000	40	7000
2.	खुजेनर कम्पनी	18	25	24	3000
3.	हरदौल कम्पनी	16	1500	12	3000
4.	सिरोंज कम्पनी	14	1500	12	1000

आशा संस्था के साथ वर्ष 2009-11

क्र.	शामिल उत्पादक कंपनी का नाम	शामिल गांवों की संख्या	किसानों की संख्या	कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1.	नौगाँव कम्पनी	28	4052	3644
2.	नैशकला कम्पनी	27	755	1158
3.	राम राजा कम्पनी	12	987	937
4.	नरसिंह कम्पनी	50	1526	1670
5.	गोविंद कम्पनी	17	810	780

मध्यप्रदेश की कृषक उत्पादक कंपनियाँ

नेशकलां क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (NCPCL) गुना

मध्यप्रदेश के गुना जिले में किसानों को सस्ते प्रमाणित बीज और कृषि प्रशिक्षण दिलाने के लिए नेशकलां क्रॉप प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का गठन मध्यप्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वारा अप्रैल वर्ष 2006 में गुना जिले के चाचौड़ा जनपद के नेशकलां गांव में किया गया। कम्पनी के गठन का उद्देश्य जिले के गरीब और पिछड़े किसानों के जीवन स्तर को सुधारना है।

कम्पनी द्वारा किसानों को कृषि आवश्यकता संबंधी जरूरतें जैसे बीज, खाद, उर्वरक और दवाइयां उपलब्ध कराना है। कम्पनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोपेश जैन ने बताया कि नेशकलां क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, उनका जीवन स्तर सुधारना है। कम्पनी किसानों को कृषि संबंधी प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज, खाद, उर्वरक आदि समय पर और उचित मूल्य पर दिलाती है। कम्पनी के प्रयासों के कारण अब किसान बिचौलियों के जाल से मुक्त हो रहे हैं। खेती को लाभ का धन्धा बनाने के लिए कम्पनी स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर बेहतर कृषि क्रियाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं।

कम्पनी द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम और बीज प्रमाणीकरण से किसानों को काफी लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ उनके परिजनों को सब्जी उत्पादन का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। घर के आसपास की खाली जगहों पर सब्जी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सब्जी उत्पादन कार्यक्रम से अब तक लगभग दो सौ पचास महिलाएँ जुड़ चुकी हैं। सब्जी उत्पादन से आर्थिक लाभ तो होता है तुरंत धनराशि भी मिल जाती है। दीर्घकाल का इंतजार नहीं करना पड़ता है। कम्पनी की शुरुआत एक लाख 91 हजार रुपये की शेयर पूंजी के साथ हुई थी। कम्पनी निर्गमन के समय 10 शेयर धारक थे जो अब बढ़कर 1059 शेयर धारक हो गए हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में कम्पनी को 10 लाख 27 हजार रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ था। नेशकलां क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी द्वारा किसानों को पशुपालन के लिए अनुदान और प्रशिक्षण दोनों दिया जा रहा है।

कम्पनी विवरण

1.	निगमन की तारीख	21.04.2006
2.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U51101MP2006PTC18575
3.	निदेशक मंडल	09 (04 पुरुष एवं 05 महिलाएं)
4.	बीओडी बैठक आयोजित	43
5.	वार्षिक आम बैठक	8
6.	शेयर धारकों की संख्या	1059
7.	अधिकृत पूंजी (रु. में)	5 लाख
8.	शेयर पूंजी (रु. में)	1.91 लाख

रीवा क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

रीवा क्रॉप प्रोडयूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का गठन दिनांक 21 अप्रैल 2006 को जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वारा बनाये गये समूह सदस्यों के साथ किया गया था। प्रारंभ में 10 सदस्य थे। आज 3141 सदस्य हैं। कम्पनी का मुख्य कार्य बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाना है। कम्पनी द्वारा किसानों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर बीज दिया जाता है। उत्पादित फसल की मार्केटिंग कर फसल बिकवाना है। उत्पादक कंपनी द्वारा गरीब तथा अति-गरीब परिवारों को उच्च प्रजाति के विकसित बीजों के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कम्पनी द्वारा किसानों को समय-समय पर कृषि विभाग की योजनाओं से लाभान्वित कराना, उन्हें फसल पूर्व कृषि प्रशिक्षण प्रदान करना, उनके खेतों में मृदा परीक्षण कराना, खेती के अतिरिक्त पशुपालन और सब्जी उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देना और अनुदान दिलाना आदि। कम्पनी के प्रारंभ में 10 सदस्य थे लेकिन धीरे-धीरे लोग कम्पनी से जुड़ने लगे हैं और वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं। कंपनी में वर्तमान मे 3141 शेयर धारक हैं एवं 3.14 लाख रुपए शेयर पूँजी है। कंपनी द्वारा बेहतर लाभ अर्जित किया जा रहा है। चूंकि कम्पनी से छोटे तथा सीमांत किसान जुड़े हैं। कम्पनी के द्वारा अर्जित होने से उनके जीवन में बदलाव आया है। कम्पनी द्वारा किसानों को उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रत्येक फसल के पहले संपूर्ण जानकारी दी जाती है। नई तकनीक से परिचित कराया जाता है। कम्पनी के सामूहिक प्रयास से 20 से 25 प्रतिशत तक प्रोडक्शन बढ़ा है।

कम्पनी विवरण

1.	निगमन की तारीख	21/04/2006
2.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U51101MP2006PTC18572
3.	निदेशक मंडल	12 (12 पुरुष)
4.	बीओडी बैठक आयोजित	48
5.	वार्षिक आम बैठक	08
6.	शेयर धारकों की संख्या	3141
7.	अधिकृत पूंजी (रु. में)	5.00 लाख
8.	शेयर पूंजी (रु. में)	3.14 लाख

वित्तीय स्थिति

वर्ष	कुल बिक्री (रु. में)	सकल लाभ (रु. में)	शुद्ध लाभ (रु. में)
2006-07	1719000	66000	7000
2007-08	3643000	268000	2000
2008-09	4326000	469000	2000
2009-10	24092000	1372000	5000
2010-11	24238000	1761000	7000
2011-12	49713000	1996000	7000
2012-13	15045000	811000	7000
2013-14	13077000	1056000	130000
2014-15	15077000	1173000	145000

सागर समृद्धि प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, सागर

सागर समृद्धि प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का गठन 18 अक्टूबर 2006 को किया गया था।

यह 1 लाख के शेयर पूंजी के साथ 1165 शेयर धारकों की कम्पनी है। जिले के छोटे और सीमांत किसानों के उत्पादन, बुनियादी सुविधाओं सेवाओं और वैकल्पिक बाजारों का समर्थन करने तथा खेती के उच्च जोखिम को कम करने के लिए उत्पादक कंपनी का गठन किया गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों को आगे लाना है।

कंपनी द्वारा किसानों को प्रमाणित और उच्च किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं साथ ही उन्हें नई कृषि तकनीकों और विधाओं का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। कम्पनी से जुड़े कृषकों को पशुपालन के लिए भी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। कम्पनी से जुड़े किसानों की फसलें अन्य किसानों की तुलना में उच्च दर्जे की और 20 से 30 प्रतिशत अधिक पैदावार वाली हो रही हैं।

कम्पनी विवरण

1.	निगमन की तारीख	18.10.2006
2.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U01403MP2006PLC019021
3.	निदेशक मंडल	10 (10 पुरुष)
4.	बीओडी बैठक आयोजित	38
5.	वार्षिक आम बैठक	07
6.	शेयर धारकों की संख्या	1165
7.	अधिकृत पूंजी (रु. में)	Rs. 5.00 लाख
8.	शेयर पूंजी (रु. में)	Rs. 1.00 लाख

राम राजा क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, टीकमगढ़

टीकमगढ़ जिले में मध्यप्रदेश शासन द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के सहयोग से राम राजा क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का गठन पृथ्वीपुर विकासखंड के मंजरासुरी ग्राम में 1 अप्रैल 2006 को किया गया था। कम्पनी का उद्देश्य किसानों को सस्ती दरों पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के अलावा उनका कौशल उन्नयन करना भी है। कम्पनी बीज उत्पादन के साथ किसानों को कृषि प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। यह 1.76 लाख के शेयर पूंजी के साथ 1764 शेयर धारकों की कम्पनी है। शुरुआत में कंपनी द्वारा अदरक उत्पादों के मूल्यवर्धन के लिये रणनीति बनाई गयी। वर्तमान में कंपनी द्वारा गेहूं, सोयाबीन, चना आदि के बीज उत्पादन का भी कार्य किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा किसानों को सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है साथ ही उनकी फसलों के लिए बेहतर मार्केट भी उपलब्ध कराया जाता है।

कम्पनी विवरण

1.	निगमन की तारीख	01.04.2006
2.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U51497MP2006PTC018642
3.	निदेशक मंडल	09 (09 पुरुष)
4.	बीओडी बैठक आयोजित	63
5.	वार्षिक आम बैठक	08
6.	शेयर धारकों की संख्या	1764
7.	अधिकृत पूंजी (रु. में)	Rs. 5.00 लाख
8.	शेयर पूंजी (रु. में)	Rs. 1.76 लाख

खुजेनर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (KAPCL) राजगढ़

खुजनेर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड राजगढ़ जिले में 3 मई 2006 को स्थापित की गई थी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य कंपनी के माध्यम से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर स्व-सहायता समूह के सदस्यों को उच्च गुणवत्ता वाले कृषि आदानों को प्रदान करना तथा आजीविका में सुधार लाना। कम्पनी द्वारा किसानों को प्रमाणित बीज प्रदान करने के अलावा इन बीजों से अच्छी फसल लेने, उर्वरकों का छिड़काव, गुड़ाई और सिंचाई की पद्धतियों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

किसानों का उन्नयन करना कंपनी की प्राथमिकता में शामिल है इसीलिए उन्हें कृषि के साथ ही सब्जी उत्पादन और पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। अपने उद्देश्यों पर आगे बढ़ते हुए कंपनी द्वारा उत्तम कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में कंपनी की 3.74 लाख रुपए की शेयर पूंजी है तथा 3074 शेयर धारक हैं।

कम्पनी विवरण

1.	निगमन की तारीख	03.05.2006
2.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U51101CT2006PTC18650
3.	निदेशक मंडल	11 (07 पुरुष एवं 04 महिला)
4.	बीओडी बैठक आयोजित	53
5.	वार्षिक आम बैठक	08
6.	शेयर धारकों की संख्या	3074
7.	अधिकृत पूंजी (रु. में)	5.00 लाख
8.	शेयर पूंजी (रु. में)	3.74 लाख

कर्णावती एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, पन्ना

किसानों को सशक्त बनाने और उनकी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए पन्ना जिले में कर्णावती एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी का गठन किया गया। प्रारंभ में 10 सदस्यों के साथ 11 दिसम्बर 2006 को शुरू की गई कम्पनी में वर्तमान में 5 लाख रुपये की शेयर पूंजी के साथ 5000 शेयर धारक हैं। कम्पनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जिले के आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों का उचित मार्गदर्शन कर उन्हें खेती के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना है।

कम्पनी द्वारा बीज उत्पादन, बीज प्रतिस्थापन का व्यवसाय किया जा रहा है। कम्पनी किसानों के बीज के अलावा उर्वरक, कृषि उपकरण भी रियायती दरों पर प्रदान कराती है साथ ही किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मार्केट भी उपलब्ध कराती हैं। कम्पनी समय-समय पर उन्हें कृषि प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। कम्पनी द्वारा वर्ष 2014-15 में 8 लाख 75 हजार रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया था। यही नहीं कम्पनी द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है।

आज कम्पनी से जुड़े किसानों की फसलें अन्य की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत अधिक और उच्च गुणवत्ता की पैदा हो रही हैं। जिससे इन किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है और जीवन स्तर भी बदला है।

कम्पनी विवरण

1.	निगमन की तारीख	11.12.2006
2.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U01403MP2006PTC019113
3.	निदेशक मंडल	10 (05 पुरुष एवं 05 महिलाएं)
4.	बीओडी बैठक आयोजित	57
5.	वार्षिक आम बैठक	08
6.	शेयर धारकों की संख्या	5000
7.	अधिकृत पूंजी (रु. में)	Rs. 5.00 लाख
8.	शेयर पूंजी (रु. में)	Rs. 5.00 लाख

नौगाँव क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, जिला छतरपुर

नौगाँव क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का गठन 02 मई 2006 को किया गया था। यह 1 लाख के शेयर पूंजी के साथ 1000 शेयर धारकों की कम्पनी है। कंपनी के मुख्य उद्देश्य नौगाँव क्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब किसानों के जीवन स्तर को सुधारना है। किसान बेहतर फसल उत्पादन करे इसलिए कम्पनी द्वारा उन्हें रियायती दरों पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। बीज के अतिरिक्त किसानों को अच्छी फसल उत्पादन का आवश्यक कृषि प्रशिक्षण भी दिया जाता है साथ ही उन्हें मृदा के अनुरूप बदल-बदलकर फसल लगाने, उर्वरक के प्रयोग और खाद उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। गठन के समय ही 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को शामिल किया गया था ताकि खेती के माध्यम से लाभ कमाकर वे आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें।

कम्पनी विवरण

1.	निगमन की तारीख	02.05.2006
2.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U51497MP2006PTC018643
3.	निदेशक मंडल	10 (07 पुरुष एवं 03 महिलाएं)
4.	बीओडी बैठक आयोजित	48
5.	वार्षिक आम बैठक	08
6.	शेयर धारकों की संख्या	1000
7.	अधिकृत पूंजी (रु. में)	Rs. 1.00 लाख
8.	शेयर पूंजी (रु. में)	Rs. 1.00 लाख

खजुराहो प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, छतरपुर

खजुराहो प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का गठन 22 फरवरी 2006 को छतरपुर जिले में किया गया था। यह 4.60 लाख के शेयर पूंजी के साथ 4625 शेयर धारकों की कम्पनी है। कम्पनी बीज उत्पादन, प्रमाणीकरण का कार्य कर रही है। कम्पनी का प्रमुख कार्य किसानों को प्रमाणित बीज और उर्वरक प्रदाय करना है इसके अलावा कम्पनी द्वारा किसानों को कृषि, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन और पशुपालन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कम्पनी से जुड़े किसानों द्वारा उत्पादित फसलें बाजार में अच्छी दरों पर बिक जाती हैं।

कम्पनी ने वर्ष 2013-14 में कुल एक लाख 25 हजार रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। कम्पनी से जुड़े सदस्य कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, सब्जी उत्पादन भी कर रहे हैं जिससे उन्हें आर्थिक लाभ भी हो रहा है। अपनी स्थापना के बाद से कम्पनी अपने शेयर धारक किसानों के लाभ के लिए काम कर रही है।

कम्पनी विवरण

1.	निगमन की तारीख	22.02.2006
2.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U51101MP2006PTC018428
3.	निदेशक मंडल	12 (09 पुरुष एवं 03 महिलाएं)
4.	बीओडी बैठक आयोजित	43
5.	वार्षिक आम बैठक	08
6.	शेयर धारकों की संख्या	4625
7.	अधिकृत पूंजी (रु. मे)	Rs. 5.0 लाख
8.	शेयर पूंजी (रु. मे)	Rs. 4.6 लाख

नरसिंह फार्मर्स क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नरसिंहपुर

नरसिंह फार्मर्स क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी, ग्वालियर से 06 फरवरी 2006 को किया गया था।

यह कम्पनी नरसिंहपुर जिले में कार्यरत है और 2.89 लाख शेयर पूंजी के साथ 2872 शेयर धारकों की कम्पनी है। कम्पनी का उद्देश्य क्षेत्र में पिछड़े किसानों को प्रमाणित बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण बाजार की तुलना में रियायती दरों पर उपलब्ध कराना है। साथ ही कम्पनी द्वारा किसानों को समय-समय पर कृषि योजनाओं और कृषि तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वर्ष 2014-15 में कम्पनी ने एक लाख 60 हजार रुपये का लाभ अर्जित किया था। वर्तमान में कम्पनी द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम, रसायन एवं कृषि उपकरणों को उचित दर पर अपने शेयर धारकों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

कम्पनी विवरण

1.	निगमन की तारीख	06.02.2006
2.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U00512MP2006PTC18373
3.	निदेशक मंडल	11 (10 पुरुष एवं 01 महिला)
4.	बीओडी बैठक आयोजित	52
5.	वार्षिक आम बैठक	08
6.	शेयर धारकों की संख्या	2872
7.	अधिकृत पूंजी (रु. में)	Rs. 5.00 लाख
8.	शेयर पूंजी (रु. में)	Rs. 2.89 लाख

गोविन्द सीड प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, दमोह

गोविंद एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का गठन 23 फरवरी 2006 को किया गया था। कम्पनी द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 2006 में 5-6 गांव से शुरू किया गया था जो कि बाद में 40 ग्रामों में बढ़कर 3073 प्राथमिक उत्पादकों के साथ जुड़ गया। कम्पनी द्वारा सदस्य किसानों को प्रमाणित बीज, खाद और उर्वरक बाजार की अपेक्षा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य प्रमाणित बीज उत्पादन करना है। कम्पनी द्वारा किसानों को समय-समय पर फसल संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है।

कम्पनी विवरण

1.	निगमन की तारीख	23.02.2006
2.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U00512MP2006PTC18432
3.	निदेशक मंडल	10 (10 पुरुष)
4.	बीओडी बैठक आयोजित	33
5.	वार्षिक आम बैठक	05
6.	शेयर धारकों की संख्या	3073
7.	अधिकृत पूंजी (रु. मे)	5.00 लाख
8.	शेयर पूंजी (रु. मे)	5.90 लाख

चुरहट एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, सीधी

सीधी जिले में किसानों का जीवन बदल गया है। अब इनकी फसलों की पैदावार अच्छी हो रही है, बाजार में फसलों का अच्छा मूल्य मिल रहा है। यह सब हुआ है जिले की चुरहट एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से। कम्पनी से जुड़े सदस्य किसानों को कम्पनी द्वारा समय-समय पर कृषि संबंधी प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, प्रमाणित बीज, सस्ते कृषि उपकरण और उर्वरक प्रदाय किये जाते हैं। कम्पनी द्वारा किसानों को प्रमाणित बीज बेचे जाते हैं। इन बीजों से अच्छी फसल के गुर सिखाए जाते हैं। जरूरत पड़ी तो कम्पनी के अधिकारी किसानों के खेतों पर फील्ड विजिट भी करते हैं और फसल की बुवाई, गुड़ाई, सिंचाई और रख रखाव का प्रशिक्षण भी देते हैं। कम्पनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बृज किशोर सिंह ने बताया कि कम्पनी का गठन एक मई 2006 को किया गया। प्रारंभ में कम्पनी के दस सदस्य थे जो आज बढ़कर 1700 हो गए हैं। कम्पनी द्वारा प्रारंभ में धान और मक्का में 1100 और 600 एकड़ क्षेत्रफल में शुरुआत की गई थी। कम्पनी द्वारा उच्च किस्म के बीज प्रमाणित कर किसानों को प्रदाय किए जाते हैं। कम्पनी किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ दिलाती है। कम्पनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि सीधी जिले में हमारे 15 आउटलेट हैं जहाँ से किसानों को बीज प्रदाय किया जाता है। हम किसानों को बेहतर मार्केट उपलब्ध कराते हैं। उनकी फसलों को उचित दाम दिलाते हैं। किसानों से जो भी बीज हम खरीदते हैं उसका भुगतान किसानों को चेक द्वारा किया जाता है। किसानों को खेती के साथ-साथ सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन और पशु पालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है और आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कम्पनी से जुड़कर किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। उचित कृषि क्रियाएँ, सिंचाई और रखरखाव से 20 से 30 प्रतिशत अधिक फसल उत्पादन हो रहा है। अब किसान मृदा परीक्षण कराकर फसल उगा रहे हैं जिससे आर्थिक लाभ में भी वृद्धि हो रही है।

कम्पनी विवरण

1.	निगमन की तारीख	01.05.2006
2.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U51101MP2006PTC18625
3.	निदेशक मंडल	09 (09 पुरुष)
4.	बीओडी बैठक आयोजित	86
5.	वार्षिक आम बैठक	08
6.	शेयर धारकों की संख्या	1700
7.	अधिकृत पूंजी (रु. में)	Rs. 5.00 लाख
8.	शेयर पूंजी (रु. में)	Rs. 1.70 लाख

प्रकृत उन्नति आजीविका फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी, डिण्डोरी

मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से चल रहे कृषि उत्पादक संगठनों से कृषकों का जीवन बदलने लगा है। डिण्डोरी जिले में संचालित प्रकृत उन्नति आजीविका फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी किसानों को उन्नत करने की दिशा में कार्य कर रही है। कम्पनी का मुख्य कार्य किसानों को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण देना है और उन्हें उच्च किस्म के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना है। आदिवासी बाहुल्य और दुर्गम क्षेत्र वाले डिण्डोरी जिले में जानकारी के अभाव और अशिक्षा के कारण शासन की कई योजनाएँ निर्धन किसानों तक नहीं पहुँच पाती थीं। अज्ञानता और प्राचीन कृषि तकनीक के कारण अक्सर किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में कृषि उत्पादक संगठनों ने किसानों को जागरूक करने का काम किया। प्रकृत उन्नति आजीविका फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी, डिण्डोरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्री शिवराज टेकाम ने बताया कि कम्पनी की शुरुआत 10 अगस्त 2010 को हुई थी। प्रारंभ में कम्पनी के 10 सदस्य थे। कम्पनी से जुड़कर लोगों में कृषि के प्रति काफी जागरूकता आई है। अब किसान मौसम और परिस्थिति के अनुसार कृषि करने लगे हैं। कम्पनी द्वारा प्रमाणित बीजों से उनकी पैदावार भी अच्छी हो रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को कृषि प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज के साथ-साथ कृषि विभाग की लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। किसानों को जैविक कृषि करने के लिए बीज, आवश्यक उपकरण और खाद भी कम्पनी द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि कम्पनी से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। उन्नत बीज और प्रशिक्षण से किसानों की फसलें भी उच्च श्रेणी की पैदा हो रही हैं। किसानों को फसल के बेहतर दाम मिल रहे हैं जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं।

● **ममता राय**

कान्हा कृषि वनोपज उत्पादक प्रोड्यूसर कम्पनी, मंडला

मध्यप्रदेश शासन द्वारा किसानों को खेती के लिए अच्छे किस्म के बीज, खाद, उर्वरक आदि मुहैया कराने के लिए कई कृषि उत्पादक संगठन और छोटी-छोटी कम्पनियां बनाई गई हैं।

उन्हीं में से एक है कान्हा कृषि वनोपज उत्पादक प्रोड्यूसर कम्पनी जो मंडला जिले में कार्यरत है जिसका गठन 9 सितम्बर 2011 को किया गया था। यह कंपनी किसानों को कृषि के लिए जरूरी सभी चीजें जैसे उच्चतम गुणवत्ता के बीज, खाद, कृषि उपकरण, यूरिया और उर्वरक आदि उचित दरों पर उपलब्ध कराती है। कान्हा कृषि वनोपज उत्पादक प्रोड्यूसर कम्पनी में लगभग पाँच सौ सक्रिय सदस्य हैं जिन्हें कम्पनी द्वारा समय-समय पर कृषि कार्यों की जानकारी और मार्गदर्शन दिया जाता है। आदिवासी बाहुल्य एवं विशाल जंगल क्षेत्र होने के कारण सदस्यों को जंगल से मिलने वाली लघु वनोपज से लाभ उठाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

कान्हा कृषि वनोपज उत्पादक प्रोड्यूसर कम्पनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार बारस्कर ने बताया कि कम्पनी का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को कृषि प्रशिक्षण के साथ उनका कौशल उन्नयन करना है। मंडला जिला कृषि और वन संपदा से भरपूर है। यहाँ की कोदो, कुटकी, दलहन के साथ कई किस्मों के चावल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। कई ग्रामीण कृषि के साथ-साथ जंगलों से मिलने वाली लघु वनोपजों का भी विक्रय कर जीवन यापन करते हैं। जानकारी और पैसों के अभाव के कारण कई बार उन्हें उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। कम्पनी द्वारा किसानों और वनोपजों से जुड़े लोगों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। किसानों को अच्छे दर्जे का खाद, बीज उपलब्ध कराना सस्ते कृषि उपकरण दिलवाना और उनकी फसलों को मार्केट में अच्छा दाम दिलाना कम्पनी का मुख्य कार्य है। उन्होंने बताया कि कम्पनी किसानों को जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है साथ ही उन्हें जैविक खाद और बीज का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। उन्होंने कहा कि कान्हा कृषि वनोपज उत्पादक प्रोड्यूसर कम्पनी से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है। इसको देख अन्य कृषक भी कंपनी से जुड़ने लगे हैं।

● जीवन धनवारे

सिरोंज क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, विदिशा

सिरोंज क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का गठन जून 2005 में किया गया था। कम्पनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में कार्यरत लघु एवं सीमांत कृषकों को मुख्य रूप से सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि कर उनकी आय में बढ़ोत्तरी करना था। इसके लिये शेयर धारकों (प्राथमिक उत्पादों) ने सफल बाजार संचालित किए जाने के लिये कम्पनी का गठन किया। कंपनी शेयर पूंजी रुपये 2 लाख के साथ 1910 शेयर धारकों के साथ कार्य कर रही है। कम्पनी द्वारा किसानों को सस्ती दरों पर प्रमाणित बीज और उर्वरक प्रदान किया जाता है। किसानों को समय-समय पर फसल परीक्षण और मृदा परीक्षण के लिए अनुदान भी दिया जाता है। फसल पूर्व किसानों को कृषि प्रशिक्षण भी दिया जाता है। फसल कटाई के बाद उनकी फसल की बेहतर मार्केटिंग भी की जाती है। कम्पनी द्वारा वर्ष 2014-15 में 230000 रुपये का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया गया था। कम्पनी से जुड़े किसानों का कहना है कि कम्पनी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमें काफी लाभ हुआ है साथ ही हमारी फसल उच्च किस्म की होने से मार्केट में बेहतर दाम भी मिल जाते हैं। मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग विभाग से संबंध स्थापित होने के बाद कम्पनी द्वारा शरबती आटे एवं स्वयं के आजीविका ब्राण्ड शरबती आटे के माध्यम से लाभकारी व्यवसाय किया जा रहा है।

कम्पनी विवरण

1.	निगमन की तारीख	जून 2005
2.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U05122MP2005PTC17668
3.	निदेशक मंडल	10 (07 पुरुष एवं 03 महिलाएं)
4.	बीओडी बैठक आयोजित	79
5.	वार्षिक आम बैठक	09
6.	शेयर धारकों की संख्या	1910
7.	अधिकृत पूंजी (रु. में)	Rs. 5.00 लाख
8.	शेयर पूंजी (रु. में)	Rs. 2.00 लाख

लव-कुश क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, रायसेन

लव-कुश क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का गठन रायसेन जिले के महगंवाकला गांव के 10 किसानों के एक समूह के साथ 20 फरवरी 2006 को हुआ था। कम्पनी ने अपने अभियान की शुरुआत केवल 1 गांव से की थी। कार्यक्रम प्रभावशाली होने के कारण इसका विस्तार जिले के 2 विकासखण्ड सिलवानी एवं गैरतगंज के 63 ग्रामों में बढ़ गया। वर्तमान में कम्पनी बीज उत्पादन कार्यक्रम एवं कृषि उपकरण विक्रय में संलग्न है।

कम्पनी द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के बीज, उर्वरक एवं कृषि रसायन प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को घरों के आसपास की खाली जगहों और खेतों पर सब्जी उत्पादन के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकें।

मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग विभाग से सम्बद्ध होने के बाद कम्पनी द्वारा शरबती आटे एवं स्वयं के आजीविका ब्राण्ड शरबती आटे के माध्यम से कम्पनी द्वारा लाभकारी व्यवसाय किया जा रहा है।

कम्पनी विवरण

1.	निगमन की तारीख	20.02.2006
2.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U51101MP2006PTC18418
3.	निदेशक मंडल	14 (13 पुरुष एवं 01 महिला)
4.	बीओडी बैठक आयोजित	58
5.	वार्षिक आम बैठक	08
6.	शेयर धारकों की संख्या	2001
7.	अधिकृत पूंजी (रु. में)	5.00 लाख
8.	शेयर पूंजी (रु. में)	2.00 लाख

वित्तीय स्थिति

वर्ष	कुल बिक्री (रु. में)	सकल लाभ (रु. में)	शुद्ध लाभ (रु. में)
2006-07	1205690	19444	19704
2007-08	2947117	134310	134166
2008-09	3200000	3070	3070
2009-10	3300000	201876	47276
2010-11	5225922	49000	- 131673 (हानि)
2011-12	2873000	- 65000 (हानि)	- 65000 (हानि)
2012-13	5521000	- 68000 (हानि)	- 68000 (हानि)
2013-14	4920000	241000	188000
2014-15	10004000	1277000	59000

रोजगार के लिये मनरेगा में नये काम शुरू

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों को जरूरत के अनुसार रोजगारमूलक काम खोले जाने की मंजूरी जारी कर दी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 11 जून को बताया कि जिन ग्राम पंचायत में अब कोई भी अपूर्ण काम शेष नहीं है वहां लेबर बजट अनुसार शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट (एसओपी) में चिन्हित काम शुरू किये जा रहे हैं। श्री भार्गव ने बताया कि अधिकांश जिलों में मनरेगा में पुराने कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत अक्टूबर माह में मनरेगा में अपूर्ण कार्यों की संख्या करीब 7 लाख 32 हजार थी। अब मात्र 4 लाख 12 हजार निर्माण कार्य अपूर्ण हैं, जिन्हें यथाशीघ्र पूरा किया जा रहा है।

श्री भार्गव ने बताया कि ग्रामीण अंचलों में मनरेगा में शुरू हो रहे रोजगारमूलक कार्यों में न्यूनतम 60 फीसदी कृषि तथा कृषि आधारित कार्य रहेंगे। ग्राम पंचायत में 60:40 मजदूरी सामग्री अनुपात संधारण की स्थिति नहीं होने पर कृषि एवं कृषि आधारित रोजगारमूलक कार्य लिये जा सकेंगे। जिन पंचायतों में अपूर्ण काम पूरे हो गये वहाँ आवश्यकता होने पर पंचायत भवन सेवा केन्द्र का निर्माण प्राथमिकता से हो सकेगा। जनपद पंचायतों को निर्देश दिये गये हैं कि एक समय में किसी भी ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक 5 सामुदायिक कार्य और 25 हितग्राहीमूलक कार्य जारी रखे जा सकते हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में श्रमिकों की माँग अधिक होने पर पहले अपूर्ण कार्यों में मस्टर जारी किये जायेंगे। कार्यों की माँग के अनुसार नये कार्यों में सहायक यंत्री की अनुशंसा ली जायेगी। इसके बाद जिला कार्यक्रम समन्वयक या अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के अनुमोदन से नये कार्य आवंटित किये जा सकेंगे। मनरेगा अभिसरण के जरिये होने वाले कार्य जिनमें केवल अकुशल मजदूरी मनरेगा से दी जाना है, ऐसे नये कार्य सक्षम स्तर से स्वीकृत होंगे और कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत उन्हें प्रारंभ करवाने के लिये ई-मस्टर जनरेट कर सकेंगे। नये कार्यों के लिये जनपद स्तर पर एक पंजी का संधारण भी किया जायेगा। इस पंजी में नये कार्य खोले जाने का कारण स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2013-14 तक के अपूर्ण कार्य (नवीन वृक्षारोपण के कार्यों को छोड़कर) पूर्ण करवाये जाने तक लागू रहेगी।

देश की पहली बाँस निवेश मीट

मध्यप्रदेश में पाँच करोड़ बाँ

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने प्रशासन अकादमी में 20 जून को देश की पहली बाँस निवेशक मीट को संबोधित करते हुए कहा है कि बाँस उत्पाद और उत्पादन आधारित रोजगार निर्माण करने की नीति तैयार करने के लिए नीति आयोग से चर्चा की जायेगी। उन्होंने कहा कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन की है।

बाँस का उत्पादन बढ़ाने और उत्पाद डिजाइनिंग की जरूरत है। अच्छे उत्पादों के लिए बाजार की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा और उद्यमिता की कमी नहीं है सिर्फ अवसर की उपलब्धता जरूरी है। श्री गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों पर बाँस रोपण की शुरुआत जल्द की जायेगी। अच्छी प्रजाति के बाँस के बीज और पौधे तौयार करने के लिये रोपणियां तैयार करने पर विचार किया जाना चाहिए। ज्ञान और प्रौद्योगिकी का सही उपयोग समृद्धि में तब्दील होता है।

केन्द्रीय मंत्री ने बाँस उत्पादन और उत्पाद निर्माण उद्योग में रुचि रखने वाले निवेशकों का आव्हान किया कि वे मध्यप्रदेश में निवेश करें। उन्होंने मध्यप्रदेश में निवेश के लिये उपयुक्त वातावरण के लिये राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के लिये सभी जरूरी अधोसंरचनाएँ मौजूद हैं। अधिक उत्पादन से कम लोगों को लाभ मिले तो अर्थव्यवस्था के लिये ज्यादा लाभदायक नहीं होता। उत्पादन से अधिकाधिक लोगों को लाभ मिलना चाहिये। विकास के लिये राजनैतिक इच्छाशक्ति सबसे बड़ी पूंजी होती है।

नमामि देवी नर्मदे अभियान

बाँस इन्वेस्टर्स मीट में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में नमामि देवी नर्मदे अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान में नर्मदा के किनारे वनों में बाँस लगाये जायेंगे। प्रदेश में बाँस को रोजगार और समृद्धि का माध्यम बनाया जायेगा। मध्यप्रदेश के वनों को वरदान बनायेंगे। इसमें बाँस का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। प्रदेश में किसानों को बाँस लगाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 51 जिलों में पाँच करोड़ बाँस वृक्ष लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, इसे बढ़ाया जायेगा।

बाँस के उत्पादों के माध्यम से रोजगार के नये अवसर पैदा करने पर जोर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि बाँस के क्षेत्र में निवेशकों को सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जायेंगी। वनों के सुधार और वनों के माध्यम से रोजगार के लिये निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिये निरंतर काम हो रहा है। पिछले सात वर्षों से दहाई अंक में विकास दर है। कृषि विकास दर देश में सबसे अधिक है। प्रदेश में अब रोजगार वृद्धि पर फोकस किया गया है। इसके लिये निवेश के नये क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जायेगा।

वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने कहा

बाँस वृक्ष लगेंगे

कि बाँस के उत्पादों के लिये बेहतर विपणन व्यवस्था तथा अच्छे किस्म के बाँस के उत्पादन की आवश्यकता है। प्रदेश में वन नियम 2015 में संशोधन कर वन समितियों को विशेष अधिकार दिये गये हैं। वे निवेशकों से सीधे चर्चा कर सकती हैं। इन्हें वनों की सुरक्षा और बाँस के उत्पादन के लिये प्रेरित किया जायेगा।

इस अवसर पर विभिन्न देशों से आये निवेशक, मुख्य सचिव श्री ॲन्टोनी डिसा, बाँस मिशन के संचालक श्री ए.के. भट्टाचार्य, विषय विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में बाँस उद्योग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रारंभ में बाँस उत्पाद से जुड़े उद्यमियों और कंपनियों ने बाँस उत्पादन एवं उत्पाद और बाजार से संबंधित अपने अनुभव सुनाये। बाँस गान के रचयिता श्री महेश श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया।

बाँस उत्पादन बने स्थायी आजीविका का साधन

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती अरुणा शर्मा ने 22 जून को प्रशासन अकादमी भोपाल में देश की पहली बाँस निवेश मीट के समापन सत्र के अवसर पर बाँस उत्पादन को स्थायी आजीविका का साधन बनाये जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन क्षेत्र के साथ ही निजी क्षेत्र में भी व्यापक पैमाने पर बाँस-रोपण कर ग्रामीण अँचलों में बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करवाया जा सकता है। बाँस को लकड़ी का विकल्प बनाया जाना आवश्यक है, ताकि पेड़ों की कटाई रुके और पर्यावरण की रक्षा भी हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों में बाँस से निर्मित सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ऐसी सामग्री के वेल्यू एडीशन से ग्रामीणों के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

श्रीमती शर्मा ने दो-दिवसीय बाँस निवेश मीट के अंतिम सत्र में बाँस उत्पादन को बिजनेस मॉडल के रूप में अपनाये जाने का सुझाव दिया। उन्होंने ग्रामीण अंचलों में बाँस उत्पादक कम्पनियों के गठन की जरूरत बतायी। श्रीमती शर्मा ने बाँस के वैज्ञानिक उत्पादन के लिये अनुसंधान गतिविधियों और नवाचारों को बढ़ावा दिये जाने की बात कही। बाँस पौध-रोपण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के मक़सद से बैंकों से प्राथमिकता से ऋण सहायता मुहैया करवाये जाने की आवश्यकता भी बतायी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री नरेन्द्र कुमार ने बताया कि मध्यप्रदेश में बाँस उत्पादन के विकास के लिये सघन प्रयास हुए हैं। इस ओर नवाचारों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य के बैतूल, सिवनी, बालाघाट और होशंगाबाद क्षेत्र में बाँस पौध-रोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री नरेन्द्र कुमार ने चिंता जतायी कि पिछले 30 वर्ष में प्रदेश में बाँस उत्पादन क्षेत्र निरंतर घटा है। उन्होंने बाँस उत्पादन के नये क्षेत्र विकसित करने पर भी जोर दिया।

बाँस आधारित फर्नीचर उद्योग "वेधा" के संचालक श्री सुनील जोशी ने बाँस उत्पादन से जुड़े ज्ञान को आपस में साझा करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि बाँस हरित सोना है। पर्यावरण अनुकूल इस उत्पादन से हम ग्रामीण अँचलों के आर्थिक उत्थान को नई दिशा दे सकते हैं। "आर्टिसन एग्रोटेक" के संचालक श्री देव मुखर्जी ने कहा कि मध्यप्रदेश में बाँस क्रांति ग्रामीणों का जीवन बदलने में मददगार बन सकती है। अनुपयोगी और पड़त भूमि पर वैज्ञानिक ढंग से बाँस उत्पादन के जरिये ग्रामीणों को स्थायी आजीविका के अवसर मुहैया हो सकते हैं। श्री मुखर्जी ने बताया कि उन्हें इंदौर के पास चौरल और बड़वाहा क्षेत्र में बाँस की व्यावसायिक उपज लेने में सफलता मिली है।

इस दौरान दो-दिवसीय बाँस निवेश मीट की मुख्य अनुशंसाओं पर भी चर्चा हुई। सीआईआई के श्री श्रीनिवास मूर्ति ने आभार व्यक्त किया। बाँस मिशन के संचालक श्री ए.के. भट्टाचार्य, विषय-विशेषज्ञ तथा विभिन्न देशों से आये निवेशक और देश के विभिन्न राज्यों से आये बाँस उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित थे।

● देवेन्द्र जोशी

ग्रामीण अँचलों के शैक्षिक विकास में योगदान दें

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय तथा सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने "स्कूल चलें हम" अभियान को सफल बनाने पंचायत प्रतिनिधियों से व्यापक भागीदारी निभाने का आव्हान किया है। श्री भार्गव ने कहा है कि ग्रामीण अँचलों के शैक्षिक विकास के लिये शाला जाने योग्य हर बच्चे का स्कूल में दाखिला अवश्य हो। बच्चों के शैक्षिक विकास के साथ-साथ उनकी विभिन्न प्रतिभाओं और क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में भी प्रयास हों। श्री भार्गव ने कहा कि समाज के हर सदस्य की यह जिम्मेदारी है कि बच्चों की स्कूलों में नियमित उपस्थिति और पढ़ाई की गुणवत्ता पर ध्यान दें। स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क गणवेश, पाठ्य-पुस्तकें, साइकिल और मध्यान्ह भोजन की सुविधा मिले, इस ओर व्यापक ध्यान दिया जाये।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों के सर्वांगीण विकास के लिये संकल्पबद्ध है। इसी मक़सद से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिये अधोसंरचना के काम प्राथमिकता से हो रहे हैं। पंचायतों को पूरे अधिकार दिये गये हैं कि वे अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में स्कूलों के लिये अधोसंरचनाओं का विकास सबसे पहले करें। यदि ग्रामीण समाज शिक्षित होगा, तो प्रगति और समृद्धि के नये अवसरों का लाभ भी ग्रामीणजन को हासिल हो सकेगा। बच्चे भविष्य के नागरिक हैं, उन तक शैक्षिक विकास की योजनाओं का लाभ अवश्य पहुँचे। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग समाज की उन्नति के लिये समर्पित भाव से काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें भी "स्कूल चलें हम" अभियान से जुड़ने के लिये प्रेरित किया जाये।

● **चित्रा जोशी**

प्रदेश में हर एक बेटी-बेट

प्रदेश का हर एक बेटा-बेटी स्कूल जाये और पढ़े। अब कोई माता-पिता 12वीं तक स्कूली किताबें नहीं खरीदेंगे। प्रदेश शासन ने ऐसे इंतजाम किये हैं कि किसी भी वर्ग के छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की समस्या आड़े नहीं आने दी जायेगी। कड़ी मेहनत और भरपूर परिश्रम करना होगा। आप लोगों में भी क्षमता है। मेहनत करो, प्रदेश शासन तुम्हारे साथ है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 23 जून को उज्जैन में क्षीर सागर मैदान में 'स्कूल चलें हम अभियान' के प्रवेशोत्सव में शामिल हुए। श्री चौहान ने शालाओं में नवप्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि खूब पढ़ें और आगे बढ़ें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश का हर एक बेटा-बेटी स्कूल जाये और पढ़े। अब कोई माता-पिता 12वीं तक स्कूली किताबें नहीं खरीदेंगे। प्रदेश शासन ने ऐसे इंतजाम किये हैं कि किसी भी वर्ग के छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की समस्या आड़े नहीं आने दी जायेगी। न सिर्फ

टा स्कूल जाये

अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग बल्कि सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी स्कॉलरशिप दी जायेगी। उन्होंने छात्रों से कहा कि आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हो। दिल जो चाहे वो बन सकते हो परन्तु इसके लिये कड़ी मेहनत और भरपूर परिश्रम करना होगा। आप लोगों में भी क्षमता है। मेहनत करो, प्रदेश शासन तुम्हारे साथ है।

कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे - स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन ने कहा कि प्रदेश शासन द्वारा हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं कि प्रदेश का पढ़ने योग्य उम्र का हर बच्चा-बच्ची स्कूल जाये। उन्होंने बताया कि योग को स्कूल के पाठ्यक्रम में जोड़ा जायेगा। अन्त में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिक्षा रथ को हरी झंडी दिखाई।

● मनोज पाठक

लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण-पत्रों का वितरण

लाड़ली लक्ष्मी योजना के नये स्वरूप के साथ 20 लाख बालिकाओं को प्रमाण-पत्र वितरित करने का कार्य शुरू हो गया है। योजना में 18 हजार से अधिक प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं। योजना के नये स्वरूप से अवगत करवाने के लिये पूरे प्रदेश में मैदानी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस संबंध में समय-समय पर कार्यशाला कर प्रमाण-पत्र बनाने और उसके वितरण की प्रक्रिया बतायी गई है। नई प्रक्रिया के साथ मई माह से प्रमाण-पत्रों का वितरण किया जा रहा है। जून अंत तक 2 लाख 75 हजार प्रमाण-पत्र वितरण का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रमाण-पत्र सभी शासकीय कार्यक्रम में वितरित किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह भी अपने प्रदेश दौरे में होने वाले कार्यक्रम में प्रमाण-पत्र वितरित करते हैं।

उल्लेखनीय है कि लाड़ली लक्ष्मी के नये स्वरूप को प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंजूरी देते हुए इसे सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ा है। ई-लाड़ली लक्ष्मी के जरिये अब योजना के लिये आवेदन देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। आवेदक को आवश्यक दस्तावेज के साथ सीधे या आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के परियोजना कार्यालय, लोक सेवा केन्द्र या किसी भी इन्टरनेट कैफे में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। प्रकरण स्वीकृत होने के बाद हितग्राही को एक लाख 18 हजार का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। कक्षा छठवीं में प्रवेश के समय लाड़ली को 2000, कक्षा 9वीं में 4000 तथा कक्षा 11वीं और 12वीं में प्रवेश पर 6000 रुपये ई-पेमेंट के माध्यम से राशि दी जायेगी। एक लाख की राशि बालिका को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दी जायेगी। राज्य शासन के लोक लेखा से एक निधि के रूप में यह राशि जमा होगी, जिससे हितग्राहियों को अंतरिम परिपक्वता राशि प्रदाय की जायेगी।

योजना के संचालन के लिये अलग से अमला दिया गया है। अमले में एक लेखाधिकारी और डाटा एन्ट्री ऑपरेटर मुख्यालय पर और विकासखण्ड स्तर पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिये होगी। योजना के ऑनलाइन होने से अब विकासखण्ड से लेकर मुख्यालय तक की प्रक्रिया आसान हो गई है। इस तकनीक के उपयोग पर विभाग को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है।

पंचायतें और वाचिकता

भारतीय परंपरा में सरस्वती का पर्याय 'वाणी' है, लेखनी नहीं। इसलिए ये पंचायतें जो आज लिखित के हिमशीतलन पर आधृत हैं, वे वाचित के 'जीवन' को, ऊष्मा को, द्रवण को, सामूहिकता को सुरक्षित नहीं रख पातीं। क्या वास्तविकता के अक्षरित (लिट्रेसी) और मौखिक (ओरेट) अर्थों के बीच में कोई अवकाश है? क्या लिखित शब्द आदमी और आदमी, आदमी और उसके आसपास, आदमी और उसके समाज के बीच में कोई पर्दा है, एक ऐसे एकान्त के लिए जहां दूसरा गैर है जबकि जो वाचिक है वह गाती और नाचती हुई रिश्तेदारी है जो लोक है वह किसमें सुरक्षित है? लिखित में कि वाचिक में? लोकतंत्र की आधारभूमि पंचायत व्यवस्था किसमें लिखित रहेगी? पंचायतें और वाचिक परम्परा को लेकर उठने वाले इन तमाम सवालों को इस आलेख के माध्यम से समाधानित कर रही हैं

- मुक्ति श्रीवास्तव

पंचायती राज का एक महत्वपूर्ण संघर्ष अगली शताब्दी में विकास की अपनी परिभाषा स्वयं तय करने के अधिकार के लिए होगा। आज विकास के अधिकतर मानक पाश्चात्य और भौतिक हैं। इन्होंने 3/5 विश्व को अविकसित/अल्प-विकसित, निरक्षर, कुपोषित, तकनीकी रूप से पिछड़े, अज्ञानी लोगों की 'समस्या' के रूप में आत्महीनता, आत्म-संदेह और ग्लानि-ग्रंथि से ग्रस्त विश्व के रूप में अपघटित कर दिया है। इसी के कारण पब्लिक स्कूलों में पढ़े, कान्वेंट-दीक्षित नौकरशाह, सफेद कालर वाले राजनीतिज्ञ और विश्व बैंक के निदेशक जनता को 'हितग्राही' की निष्क्रिय भूमिका में और विकास को 'लक्ष्यपूर्ति' के खंडित और विभाजित खांचों में देखते आए हैं। पंचायतों का जो रिनेसां (पुनर्जागरण) बीसवीं सदी के इस आखिरी सदी के इस आखिरी दौर में हो रहा है, वहां शुरुआत में यह होगा कि अनुदान प्राप्ति के लालच में पंचायतें आरोपित लक्ष्यों का जुआ अपने कंधों पर ढो लें लेकिन पंचायतें जिस ग्राम समाज की एक इकाई मानकर चलने के लिए परंपरा-पुष्ट और अधिनियमित हुई, उसके कारण विकास को उसकी समग्रता में पुनर्रचित करना उनके लिए आवश्यक हो जाएगा। कोई भी ग्राम समाज स्वयं को 'समस्या' मानकर बहुत देर तक नहीं चल सकता। 'वे आपको लकवे के प्रशिक्षित करते हैं, फिर वे अपनी बैसाखियां बेचते हैं'। एडुआर्डो गैलिनो ने लैटिन अमेरिका में जिस षड्यंत्र को पहचानते हुए यह वाक्य कहा, वह षड्यंत्र सारे औपनिवेशिक विश्व में चल रहा है। जब पंचायतों को आत्म-शासन और आत्म-निर्णयन से गुजरना होगा तो वे अपनी असहायता और पराश्रय के पुरस्कार ही लेती नहीं रहेंगी, अपनी शक्ति और संभावनाओं का पुनर्संधान भी करेगी। तब वे परायी बैसाखियां लेने से तो मना करेंगी ही, उस प्रशिक्षण से भी मना करेंगी। तब विकास भी किसी बाह्य कारण से नहीं, आन्तरिक ऊर्जन के कारण प्रतिफलित होगा। तब विकास आन्तरिक प्रेरणाओं की तार्किक निष्पत्ति के रूप में आएगा। अर्थशास्त्री विकास को मुद्रा और वस्तुओं की वृद्धि के रूप में देखते हैं और 'दोष' पोसते हैं। दोनों मिलकर मात्रा के आधार पर परिणामों को नापते हैं जो मोह है। शिवरक्षा के अनुसार यहां बुद्ध के द्वारा वर्णित पाप-त्रयी-लोभ, दोष और मोह - का वर्तुल पूरा होता है। वही अर्थशास्त्रीय आदर्श और राजनीतिक प्रवृत्ति यदि पंचायतों की नींव में भी लगी रही तो पंचायतों के माध्यम से छिद्र स्वराज के रूप में जो आयाम - परिवर्तन गांधी चाहते थे, वह कभी नहीं आ पाएगा। एक छोटा सा उदाहरण लें - विकास के लिए 'साक्षरता' (लिट्रेसी) बड़ी चीज है और इसीलिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पंचायतों के ऊपर साक्षरता के लक्ष्य 15 से 35 आयु वर्ग के लिए थोप देता है।

सारा गांव साक्षरता प्रचार प्रसार के लिए जिलाधीश की सभा के बाद एक छोटी आत्म-छवि में कुंठित हो जाता है। साक्षरता (लिट्रेसी) इतनी महत्वपूर्ण बता दी जाती है कि गांव के द्वारा शताब्दियों से पालित-पोषित वाचिकता (ओरेसी) किसी गिनती में नहीं रहती। अक्षर लिखित होने से हिमशीतित है, ध्वनि वायु के सहारे निरन्तर प्राणवान बनी आई है लेकिन फ्रोजन अक्षर प्रमाण है और वाचा-प्राण जाए पर वचन न जाए- की लक्ष्मणरैखिक पवित्रता अपने प्रसंग से च्युत हो चुकी है। जबकि भारतीय परंपरा में सरस्वती का पर्याय 'वाणी' है, लेखनी नहीं। इसलिए ये पंचायतें जो आज लिखित के हिमशीतलन पर आधृत हैं, वे वाचित के 'जीवन' को, ऊष्मा को, द्रवण को, सामूहिकता को सुरक्षित नहीं रख पातीं। क्या वास्तविकता के अक्षरित (लिट्रेसी) और मौखिक (ओरेट) अर्थों के बीच में कोई अवकाश है? क्या लिखित शब्द आदमी और आदमी, आदमी और उसके आसपास, आदमी और उसके समाज के बीच में कोई पर्दा है, एक ऐसे एकान्त के लिए जहां दूसरा गैर है जबकि जो वाचिक है वह गाती और नाचती हुई रिश्तेदारी है जो लोक है वह किसमें

सुरक्षित है? लिखित में कि वाचिक में? लोकतंत्र की आधारभूमि पंचायत व्यवस्था जिसे विश्व बैंक ने अगले तीन वर्षों में खर्च होने के लिए चार लाख रुपया मात्र दिया और जिसमें अभी रुपये 50,000/- मात्र ही रिलीज हुआ, को देखने के लिए तीन फिरंगियों की टीम चली आई। यह हस्तक्षेप-अधिकार इतने सस्ते में मिल गया तो बड़ी परियोजनाओं में तो अनुशासन और अनुसरण की उम्मीद वे स्वभावतया कर ही सकते हैं। पर यह स्पष्ट है कि ऐसे विकास का व्यक्तित्व होगा, न चरित्र, न प्रतिष्ठा।

पंचायतें वाचिक परंपरा की दुनिया से लिखित कार्य-व्यापार नियमों वाले विश्व में जब आती है तभी वे अनौपचारिक जन-शक्ति से औपचारिक जन-संगठन में बदलती है जिसमें अधिकारी होते हैं और जन-नियंत्रण न होकर एक वरिष्ठ पदीय नियंत्रण होता है। तब उनका संक्रमण 'समाज' से 'राज्य' में होता है। हालांकि राज्य भी संभवतः किसी सामाजिक संविदा से ही जन्मा होगा, लेकिन पुराने दौर की पंचायतों में जहां उसका न्यूनतम दखल होता था, वहां अब वही पंचायतों के चाल-चलन के तौर-तरीके तय करता है। इसलिए अतीत-मोह चल नहीं पाता क्योंकि राज्य का स्वभाव बदल गया है। प्रथम अध्याय में चोल पंचायत उत्तरमेरूर के उदाहरण में हमने देखा था कि कैसे पंचों ने अपने कार्य-व्यापार के नियम खुद तय किए। वह कोई राज्यादेश (फियाट) नहीं था कि जिसने सब तरफ एक-सी व्यवस्था कर दी। लेकिन आधुनिक राज्य अलग प्रकृति का है। यही मात्र संप्रभु है और यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण करता है, संप्रभुता का विकेन्द्रीकरण नहीं करता।

वाचिकता की एक सीमा है। बृहस्पति ने इसीलिए लिखा था :

षाण्मासिके तु सम्प्राप्ते भ्रान्तिः संजायते यतः।
धात्राक्षराणि सृष्टानि पत्रारूढान्यतः पुरा।।

अर्थात किसी घटना के छः मास बीत जाने पर भ्रम उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए ब्रम्हा ने अक्षरों को बनाकर पत्रों में निबद्ध कर दिया है। लेकिन बृहस्पति को संभवतः आज के उस संभ्रम का कोई पूर्वानुमान नहीं था जो पेपरोक्रेसी से पैदा हुआ है। इस पेपरोक्रेसी ने पंचायतों को भी जकड़ा है। पंचायत मंत्री की हैसियत आज लंबवत मंत्रालयीन कार्यक्रमों को लागू करने वाले स्थानीय कर्मचारी की हो गई है। वह एक समन्वयक नहीं है, सरकारी कार्यक्रमों का सेल्समैन ज्यादा है।

सशक्त महिला नेतृत्व से विकास को मिली रफ्तार

सकारात्मक सोच हो, मार्गदर्शन और संरक्षण मिले तो कार्यों में सफलता मिलने में कोई संदेह ही नहीं है। नरसिंहपुर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कौड़िया के सरपंच पद पर सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित श्रीमती शोभा राजेन्द्र भदौरिया ने आत्मविश्वास के साथ अपने पद का पदभार ग्रहण किया। इससे ग्राम पंचायत क्षेत्र में सुखद परिवर्तन का एहसास होने लगा है। सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से सरपंच पद पर निर्विरोध निर्वाचित श्रीमती शोभा राजेन्द्र भदौरिया ने ग्राम के समग्र विकास के लिए अपनी प्राथमिकताएं बनाई हैं। ग्राम पंचायत कौड़िया शत-प्रतिशत साक्षर गांव है। गांव के पूर्व सरपंच रामनारायण बचकैंया की पंचायत चुनाव के पूर्व की गई सामयिक पहल से गांव में समरसता का वातावरण बना है। स्वतंत्रता के पश्चात् कभी भी गांव में कोई भी निर्वाचन निर्विरोध नहीं हुआ है। पंचायत चुनाव के पश्चात् ग्रामवासियों में होने वाले मनमुटाव, आपसी वैमनस्यता व लड़ाई-झगड़ों को देख चुके अनुभवी पूर्व सरपंच ने समय-समय पर बैठक आयोजित कर निर्विरोध निर्वाचन की पृष्ठभूमि तैयार की। क्षेत्र के विकास के लिए सभी 16 पंच व सरपंचों का निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न हुआ। निर्विरोध निर्वाचित पंचों में से 8 महिला तथा 8 पुरुष पंचों के परिवारों में से कोई भी पूर्व में सरपंच व पंच नहीं रहा है। सरपंच व सभी पंच साक्षर हैं। श्रीमती भदौरिया ने विकास की योजना की प्राथमिकता तय की है।

ग्राम पंचायत कौड़िया एक नजर में

गांव का नाम	कौड़िया
तहसील	गाडरवारा
ब्लॉक	चावरपाठा
विधानसभा	तेन्दूखेड़ा
जिला	नरसिंहपुर
ग्राम की आबादी	6000
मतदाता	4200
वार्ड की संख्या	16

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में कार्य करते हुए गांव की सभी नालियों तथा सड़कों की साफ-सफाई करवाई गई है। गांव के सभी धार्मिक स्थलों, जल स्रोतों, प्राकृतिक झरनों के संरक्षण के कार्य को प्राथमिकता में लिया है।

सांसद श्री उदय प्रताप सिंह तथा विधायक श्री संजय शर्मा के सहयोग से ग्राम के सामुदायिक भवन (गांधी भवन) का जीर्णोद्धार कर सामयिक आवश्यकता के अनुरूप शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। गांव के 75 प्रतिशत परिवारों में शौचालयों का निर्माण हो चुका है। शेष 25 प्रतिशत परिवारों में शौचालय निर्माण की योजना पर कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है।

गांव की पेयजल की सप्लाई को नियमित किया गया है। दो वार्डों के नए नलकूप चालू करवाए गये हैं। सभी स्कूलों की मध्यान्ह भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये स्वयं, पंचों तथा पूर्व सरपंचों के माध्यम से सतत् निगरानी करवाई जा रही है। गांव की स्ट्रीट लाईट को भी जनसहयोग से चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

गांव के प्रमुख चौराहों पर सोलर ऊर्जा के पैनल स्थापित करवाये जा रहे हैं।

पंचायत मुख्यालय पर पंचायत सचिव, पटवारी, पशु चिकित्सक व शिक्षकों तथा अन्य शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। कर्मचारियों का भी सतत सहयोग मिल रहा है। सरपंच श्रीमती भदौरिया का कहना है कि सभी स्तर से इसी प्रकार की आम सहमति व सहयोग निरन्तर मिलता रहा तो आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की सबसे विकसित आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में ग्राम पंचायत कौड़िया को पहचान मिलेगी।

● **सुभाष कुमार बचकैंया**

ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन का निर्धारण

मध्यप्रदेश की ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम पंचायतों के सचिवों के वेतन निर्धारण में भ्रांतियों को दूर करने के लिए 10 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की सेवा करने वाले ग्राम पंचायत सचिवों का नया वेतन निर्धारण किया गया है। इस संबंध में राज्य शासन के पंचायत राज संचालनालय द्वारा 10, 12, 14 और 16 वर्ष पूर्ण होने वाले ग्राम पंचायत सचिवों के नये वेतन निर्धारण के लिए जारी आदेश प्रकाशित किया जा रहा है।

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
अरेरा हिल्स, तिलहन संघ भवन, भोपाल-462004
फोन नं. 0755-2557727, फैक्स नं. 0755-2552899, ई मेल dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पं.रा./बजट/2015-16/9533 **भोपाल, दिनांक 19.06.2015**

प्रति,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत-समस्त म.प्र.

विषय - ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिवों के वेतन निर्धारण बाबत्।

संदर्भ - म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्रमांक/एफ-2/9/2013/22/पी-1, दिनांक 24.07.2013 तथा क्रमांक/एफ-2/9/2013/22/पं-1, दिनांक 27.08.2013 एवं संचालनालय पंचायतीराज का पत्र क्र./पं.रा./बजट/2015-16/4648, दिनांक 08.05.2015

पंचायत राज संचालनालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 4648, दिनांक 08.05.2013 द्वारा सेवा में नियुक्त ग्राम पंचायत सचिव के वेतनमान में निर्धारण का उदाहरण दिया गया था। कतिपय जिलों में 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले के ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण के संबंध में भ्रांतियां हैं। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले सचिवों के वेतन का निर्धारण उपरोक्त संदर्भित आदेशों के अनुक्रम में ही किया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव जिसकी सेवा 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें संदर्भित पत्र दिनांक 24.07.2013 में दिए गए गणना अनुसार रु. 5580 सकल वेतन की पात्रता होगी एवं सकल वेतन पर प्रचलित दर पर महंगाई भत्ता देय होगा।

सुलभ संदर्भ हेतु सेवा के 10, 12, 14 एवं 16 वर्ष पूर्ण होने पर वेतनमान निर्धारण का निम्नानुसार उदाहरण दिया जा रहा है।

सेवा का पूर्ण वर्ष	मूल वेतन (01.08.2013 की स्थिति में)	प्रस्तावित वेतन	संवर्ग वेतन	सकल वेतन	रिमार्क
10	2700	4380	1200	5580	सकल वेतन पर प्रचलित दर पर महंगाई भत्ता देय होगा।
12	2800	4540	1200	5740	
14	2900	4700	1200	5900	
16	3000	4860	1200	6060	

(रघुवीर श्रीवास्तव)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

विशेष ग्राम सभा पर होने वाले कार्यक्रमों की होगी वीडियोग्राफी

मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 22 से 27 जून के मध्य विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन में सभी ग्राम सभाओं में होने वाले कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से किया जाना है। साथ ही वीडियोग्राफी की एक प्रति आयुक्त पंचायत राज संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना है। इस संबंध में जारी आदेश का पंचायिका में प्रकाशन किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 16-1/2011/22/पं.-2 **भोपाल, दिनांक 23.06.2015**

प्रति,

1. समस्त
जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत-समस्त, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत-समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय - दिनांक 22 जून से 27 जून, 2015 के बीच विशेष ग्राम सभा का आयोजन।

संदर्भ - इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.06.2015।

उपरोक्त विषयक कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 22 जून से 27 जून, 2015 के मध्य ग्राम सभाओं का चरणबद्ध तिथियों में आयोजन किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया है।

2. कृपया अनुरोध है कि दिनांक 22 जून से 27 जून, 2015 के बीच आयोजित विशेष ग्राम सभा में होने वाले कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से किये जाने का कष्ट करें। साथ ही वीडियोग्राफी की प्रति आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय तिलहन संघ भोपाल को उपलब्ध कराई जाये।

(शोभा निकुंम)
अवर सचिव
म.प्र. शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक एफ 16-1/2011/22/पं.-2 **भोपाल, दिनांक 23.06.2015**

प्रतिलिपि -

1. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालनय, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
म.प्र. शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश में ई-पंचायत व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन होगा

पंचायत राज संचालनालय द्वारा मध्यप्रदेश की समस्त पंचायतों में ई-पंचायत व्यवस्था लागू की गई है। ताकि पंचायतों में होने वाले समस्त कार्यों में पारदर्शिता आ सके। प्रदेश में ई-पंचायत व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से ई-पंचायत से संबंधित सभी कार्य एम.पी. स्टेप (MPSTEPS) द्वारा किये जायेंगे। इस संबंध में जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय
1, अरेरा हिल्स, प्रशासनिक क्षेत्र, तिलहन संघ परिसर, भोपाल
(Telephone 0755-2557727, Fax - 0755-2552899)
(E-mail address:dirpanchayat@mp.gov.in)

आदेश

क्रमांक/ई-पंचायत/2015/ **भोपाल, दिनांक 02 जून 2015**

वर्तमान में ई-पंचायत व्यवस्था का कार्य MPSTEPS एवं पंचायत राज संचालनालय के द्वारा समानांतर किया जा रहा है। MPSTEPS का मूल उद्देश्य ई-पंचायत की सभी गतिविधियों को क्रियान्वित करना है अतः प्रदेश में ई-पंचायत व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से ई-पंचायत से संबंधित समस्त निम्न कार्य अब एकीकृत रूप से MPSTEPS के द्वारा ही संपादित किये जावेंगे -

1. पंचायत दर्पण पोर्टल का विकास एवं संधारण।
2. भारत सरकार की सभी ई-पंचायत एप्लीकेशन।
3. पंचायत दर्पण पोर्टल एवं ई-पंचायत एप्लीकेशन से संबंधित प्रशिक्षण संबंधी समस्त कार्य।
4. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट से संबंधित समस्त कार्य।
5. हार्डवेयर से संबंधित समस्त कार्य।
6. नेट कनेक्टिविटी से संबंधित समस्त कार्य।
7. भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी उक्त गतिविधियों तथा IT से संबंधित नीतियों तथा निर्देशों का क्रियान्वयन।
8. IT/इंटरनेट/कम्प्यूटरीकरण/ई-मेल प्रबंधन से संबंधित समस्त कार्य।

उक्त कार्य डॉ. विनोद यादव, स्टेट नोडल ऑफीसर ई-पंचायत एवं उप महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट) MPSTEPS के द्वारा संपादित किये जावेंगे। इस कार्य हेतु श्री दीपक गौतक, प्रोग्रामर तथा श्री नरेन्द्र निर्गुणे सहायक वर्ग तीन भी संबद्ध रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त MPSTEPS द्वारा संचालित ऑडिट संबंधी समस्त कार्य भी डॉ. विनोद यादव द्वारा संपादित किये जावेंगे।

(रघुवीर श्रीवास्तव)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
भोपाल, मध्यप्रदेश

पृष्ठां./क्रमांक/पं.रा./ई.पंचा./2015/ **भोपाल, दिनांक 02 जून 2015**

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय आयुक्त - समस्त (मध्यप्रदेश) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला - समस्त (मध्यप्रदेश) की ओर सूचनार्थ।

(रघुवीर श्रीवास्तव
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
भोपाल, मध्यप्रदेश

पंचायत दर्पण पोर्टल पर ग्राम पंचायतें होंगी अपडेट

मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय अभिलेखों को संधारित करने के लिए एक ग्राम पंचायत एक खाता व्यवस्था लागू की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर सभी प्रकार के भुगतान आर.टी.जी.एस. और एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किए जायेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय लेन-देन की समस्त प्रविष्टियाँ पंचायत दर्पण पोर्टल पर नवीन प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। इस संबंध में पंचायत राज संचालनालय द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय
1, अरेरा हिल्स, प्रशासनिक क्षेत्र, तिलहन संघ परिसर, भोपाल
(Telephone 0755-2557727, Fax - 0755-2552899)
(E-mail address:dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/पं.रा./ई.पंचा./2015/ **भोपाल, दिनांक 02 जून 2015**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत-समस्त (मध्यप्रदेश)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत-समस्त (मध्यप्रदेश)

विषय - पंचायत दर्पण पोर्टल पर नवीन प्रावधानों में प्रविष्टियाँ करने बाबत्।

विषयांतर्गत आप अवगत हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय अनुशासन स्थापित करने तथा वित्तीय अभिलेखों को सरल तरीके से संधारित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 01 अप्रैल 2015 से एक ग्राम पंचायत एक खाता व्यवस्था लागू की जाकर यह अपेक्षा की गयी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर सभी प्रकार के भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. (खाते से खाते में राशि हस्तांतरण) के माध्यम से किये जावें। भुगतान की कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंच द्वारा ही की जावेगी। बैंक को प्रेषित किया जाने वाले ई-भुगतान स्वीकृति आदेश को पोर्टल से जनरेट किया जाना है। इस कार्यवाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से पंचायत दर्पण पोर्टल पर निम्न नवीन प्रावधान विकसित किये गये हैं -

1. बैंक खाता प्रबंधन
2. वेंडर प्रबंधन
3. क्लस्टर प्रबंधन
4. कर्मचारी प्रबंधन

उक्त प्रावधानों पर निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है -

1. पोर्टल - उक्त प्रावधान नियमित रूप से उपयोग किये जा रहे mppanchayatdarpan.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। पोर्टल पर दिये गये Login to new system विकल्प को क्लिक करके जानकारी की प्रविष्टि करने के लिये लॉगिन पेज पर पहुंचा जा सकता है।

2. यूजर नेम और पासवर्ड - नये सिस्टम में लॉगिन करने के लिये जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों द्वारा वही यूजर नेम और पासवर्ड उपयोग करना है जो स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत सत्यापन कार्य के लिये किये गये थे।

3. जनपद पंचायत स्तर से किये जाने वाले कार्य - जनपद पंचायत स्तर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा क्लस्टर प्रबंधन एवं कर्मचारी प्रबंधन माड्यूल में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है -

क्लस्टर प्रबंधन - इस माड्यूल में जनपद पंचायत लॉगिन से निम्न प्रक्रिया अनुसार क्लस्टर मुख्यालय नियत करते हुये उनके साथ ग्राम पंचायतों को मेप करना है।

1. ग्राम पंचायत को क्लस्टर मुख्यालय के रूप में चिन्हित करना - आप अवगत हैं कि जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों को क्लस्टर में विभाजित किया जाकर क्लस्टर मुख्यालय निर्धारित किया गया है। क्लस्टर प्रबंधन के अंतर्गत इस माडयूल के रजिस्टर क्लस्टर ऑप्शन में जनपद पंचायत की सभी ग्राम पंचायतों की सूची प्राप्त होगी जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत के नाम के सामने एक चेक बॉक्स दिखेगा। इस सूची में जो ग्राम पंचायतें पूर्व से ही क्लस्टर मुख्यालय हैं उनके सामने के चेक बॉक्स में एक साथ टिक करके सूची के अंत में दिये गये रजिस्टर सिलेक्टेड ग्राम पंचायत एज क्लस्टर बटन को दबा कर क्लस्टर मुख्यालय निर्धारित करने की यह कार्यवाही पूर्ण करनी है। इस प्रक्रिया द्वारा बनाये गये क्लस्टर की सूची लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड क्लस्टर ऑप्शन में देखी जा सकती है।

2. ग्राम पंचायतों को क्लस्टर मुख्यालय के साथ मेप करना - क्लस्टर प्रबंधन के इस आप्शन में आपको आपके द्वारा निर्धारित किये गये क्लस्टर मुख्यालय की सूची प्राप्त होगी। आपको इस सूची में से प्रत्येन क्लस्टर को एक-एक करके सिलेक्ट कर उसके साथ उसकी ग्राम पंचायतों को मेप करना है। क्लस्टर सिलेक्टर करने पर आपकी जनपद पंचायत की सभी ग्राम पंचायतों की सूची चेक बॉक्स सहित प्रदर्शित होगी। आपको सिलेक्ट किये गये क्लस्टर की ग्राम पंचायतों के सामने चेक बॉक्स को टिक करके मेप सिलेक्टेड ग्राम पंचायत विथ क्लॉस्टर ऑपश्न बटन को दबाकर क्लस्टर के साथ ग्राम पंचायतों को मेप करनी की कार्यवाही पूर्ण करनी है। इसके बाद आप मेप्ड एवं अन मेप्ड ग्राम पंचायतों की सूची इसी मॉड्यूल में दख सकेंगे।

पूर्व से निर्धारित क्लस्टर मुख्यालय को ही पोर्टल पर क्लस्टर के रूप में चिन्हित करना है किसी भी स्थिति में क्लस्टर मुख्यालय एवं उसके अंतर्गत पूर्व से चिन्हित ग्राम पंचायतों को परिवर्तित नही किया जावे।

कर्मचारी प्रबंधन - इस मॉड्यूल में जनपद पंचायत लॉगिन से निम्न प्रक्रिया अनुसार कर्मचारियों का पंजीयन करके उनका एम्प्लोयी कोड जनरेट कर उन्हें उनकी पंचायत एवं कलस्टर से मेप करना है।

1. कर्मचारी का पंजीयन - मॉड्यूल के एम्प्लोयी रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाकर जनपद पंचायत स्तर के कर्मचारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक यंत्री, खण्ड पंचायत अधिकारी, पंचायत समन्वयक अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिये संबधित कर्मचारी की जन्म दिनांक, मोबाइल न. ईमेल सहित अन्य विवरण की आवश्यकता होगी। समस्त विवरण दर्ज करने के बाद नीचे दिये गये रजिस्टर एम्प्लोयी बटन को दबा कर रजिस्ट्रेशन की यह प्रक्रिया पूर्ण करना है। इसी आप्शन में आप कभी भी कर्मचारी का मोबाइल न. तथा ई मेल अपडेट कर सकेंगे। इसी आप्शन में आपको अपने यहां रजिस्टर्ड किये गये कर्मचारियों की सूची देखने के लिये उपलब्ध रहेगी।

2. एम्प्लोयी कोड जनरेट करना - मॉड्यूल के एम्प्लोयी कोड जनरेट ऑपश्न में जाकर आपको पंजीकृत कर्मचारी के नाम के सामने प्रदर्शित हो रहे क्रियेट यूजर बटन को दबाकर पंजीकृत कर्मचारी का एम्प्लोयी कोड जनरेट करना है।

3. कर्मचारी को उसके क्षेत्र के साथ मेप करना - मॉड्यूल के इस ऑप्शन में कर्मचारी का पद नाम, नाम और क्लस्टर या पंचायत सिलेक्ट करके मेप विथ ऑफिस बटन को दबाकर यह कार्यवाही पूर्ण करनी है।

कर्मचारियों की यह जानकारी पूर्ण सावधानी के साथ तैयार की जावे क्योंकि भविष्य में कर्मचारियों की ई सर्विस बुक सहित अन्य कार्य पोर्टल के माध्यम से ही किये जाने हैं।

3. ग्राम पंचायत स्तर से किये जाने वाले कार्य - ग्राम पंचायत स्तर से सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा बैंक खाता प्रबंधन एवं वेंडर प्रबंधन माड्यूल में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है -

बैंक खाता प्रबंधन - इस मॉड्यूल में ग्राम पंचायत लॉगिन से निम्न प्रकिया अनुसार बैंक खाता तथा ओपनिंग बैलेंस फ्रीज करना है।

बैंक खाते को फ्रीज करना - प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये निर्धारित एक खाता प्रावधान के अनुसार इस मॉड्यूल में ग्राम पंचायत के पंच परमेश्वर योजना के खाते का विवरण पूर्व से दर्ज मिलेगा इस विवरण का मिलान सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक को अपनी बैंक की पासबुक से करना है एवं मिलान होने की स्थिति में पासबुक की छायाप्रति स्केन करके अपलोड करना है उसके बाद बैंक खाते को लॉक करके फ्रीज करना है यदि पूर्व से पोर्टल पर दर्ज खाते का विवरण ग्राम पंचायत के बैंक खाते से मिलान नहीं कर रहा है तो वास्तविक खाते का विवरण पोर्टल पर दर्ज कर बैंक पासबुक के पहले पेज को स्केन कर अपलोड करना है। यह परिवर्तित बैंक खाता पंचायतराज संचालनालय द्वारा मान्य किये जाने की स्थिति में आप अपने खाते को लॉक कर फ्रीज कर सकेंगे। यदि आपके खाते का विवरण पोर्टल पर पूर्व से दर्ज नहीं है तो उस स्थिति में भी ग्राम पंचायत स्तर से ही नियत स्थानों पर ग्राम पंचायत के खाते का विवरण दर्ज करना होगा तथा संचालनालय द्वारा मान्य किये जाने के बाद ही उस खाते को फ्रीज कर

आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

ओपनिंग बैलेंस को फ्रीज करना - बैंक खाते को फ्रीज करने के बाद रजिस्टर ओपनिंग बैलेंस आप्शन में जाकर ग्राम पंचायत की बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2015 की स्थिति में योजनावार ओपनिंग बैलेंस दर्ज करना है। पोर्टल पर उन सभी संभावित योजनाओं के नाम मिलेंगे जिनका पैसा ग्राम पंचायत के बैंक खाते में शेष हो सकता है यदि ग्राम पंचायत के पास शेष राशि की योजना इस सूची में सम्मिलित नहीं है तो अन्य के रूप में उस योजना का विवरण दर्ज करते हुये उसका ओपनिंग बैलेंस दर्ज कर सकते हैं।

बैलेंस दर्ज करते समय यह ध्यान रखें की प्रत्येक योजना के सामने राशि दर्ज करनी है यदि उस योजना में कोई राशि बैलेंस नहीं है तो 00 अंकित करना अनिवार्य है। इसके बाद इसी पृष्ठ के अंत में दिये गये सब्मिट ओपनिंग बैलेंस ऑप्शन को दबा कर ओपनिंग बैलेंस सेव करना है। इसके बाद फ्रीज ओपनिंग बैलेंस ऑप्शन में जाकर प्रत्येक योजना की राशि के सामने दिख रहे चेक बॉक्स को टिक कर अंत में दिये गये लॉक ओपनिंग बैलेंस बटन को दबा कर पंचायत के ओपनिंग बैलेंस को लॉक करना है।

खाता फ्रीजिंग एवं ओपनिंग बैलेंस प्रविष्टि का यह कार्य अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है अतः यह उचित होगा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने पर्यवेक्षण में संबधित पंचायत समन्वय अधिकारियों को लगाते हुये यह कार्य नियत समय सीमा में पूर्ण करावें। कार्य सुविधा की दृष्टि से उचित होगा की पोर्टल पर दर्ज करने के पहले खाते के कुल बैलेंस का योजनावार विवरण कागज पर तैयार कर लिया जावे ताकि मिलान होने की स्थिति में बिना किसी त्रुटि के पोर्टल पर आसानी से प्रविष्टि की जा सके। सुलभ संदर्भ हेतु पोर्टल पर दर्ज योजनाओं के अनुसार ओपनिंग बैलेंस दर्ज करने हेतु नियत प्रपत्र संलग्न है। इस प्रकार ओपनिंग बैलेंस डालते ही ग्राम पंचायत का योजनावार लेजर भी तैयार होकर उपयोग के लिये उपलब्ध रहेगा।

उक्त सभी मॉड्यूल में प्रविष्टि का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर एक सप्ताह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही के सबंध में किसी भी प्रकार की सहायता के लिये संचालनालय के ई मेल epanchayat@mp.gov.in पर मेल भेजकर आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से जनरेट होने वाले ई-भुगतान आदेश के लिये आवश्यक कार्य प्रबंधन मॉड्यूल, बिल मॉड्यूल तथा भुगतान मॉड्यूल शीघ्र ही पोर्टल पर एक्टीवेट हो जावेंगे जिनके संबंध में परिपत्र क्रमांक दो में विस्तार से आपको अवगत कराया जावेगा।

(रघुवीर श्रीवास्तव)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र.	योजना का नाम	योजना कोड
	विभिन्न अनुदान	
1.	**पंचायत राज संचालनालय से प्राप्त राशि**	
	पंच परमेश्वर योजना	
	पंच परमेश्वर योजना- 13वां वित्त आयोग सामान्य क्षेत्र अनुदान	6226
	पंच परमेश्वर योजना - 13वां वित्त आयोग विशेष क्षेत्र अनुदान	6244
	पंच परमेश्वर योजना - गौण खनिज	6299
	पंच परमेश्वर योजना - स्टाम्प शुल्क	4610
	पंच परमेश्वर योजना - अनुरक्षण हेतु अनुदान	6087
	पंच परमेश्वर योजना - राज्य वित्त आयोग/मूलभूत	7668
	13वां वित्त आयोग परफॉरमेंस ग्रांट - जिला पंचायत स्तर	
	13वां वित्त आयोग परफॉरमेंस ग्रांट - जनपद पंचायत स्तर	
	14वां वित्त आयोग	
	आर.जी.पी.एस.ए. - पंचायत भवन मरम्मत	7375
	पंचायत भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि	6098
	ई-कक्ष निर्माण हेतु प्राप्त राशि	
	बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड (BRGF)	9249
	मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना	

	स्व कराधान प्रोत्साहन योजना	6602
	पंचायत सशक्तीकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	
	राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार	
	सरपंच-पंच मानदेय	8209
	ग्राम कोष की राशि	
	ग्राम सभाओं का सुदृढ़ीकरण एवं सामाजिक अंकेक्षण	8816
2.	**ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त राशि**	
	ग्रामीण विकास विभाग - इंदिरा आवास योजना	5198
	ग्रामीण विकास विभाग - आई.ए.पी योजना	5376
	ग्रामीण विकास विभाग- बुंदेलखंड क्षेत्र विकास	5110
	ग्रामीण विकास विभाग - मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम किचिन शेड निर्माण	6099
	ग्रामीण विकास विभाग - मनरेगा	6923
	ग्रामीण विकास विभाग - एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र मिशन IWMP	5770
3.	**निर्मल भारत/स्वच्छ भारत अभियान**	
	निर्मल भारत/स्वच्छ भारत अभियान–शाला शौचालय	
	निर्मल भारत/स्वच्छ भारत अभियान–व्यक्तिगत शौचालय	5206
	निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार की राशि	
4.	**जिला योजना मण्डल से प्राप्त राशि**	
	सांसद निधि	
	विधायक निधि	8284
	जनभागीदारी योजना	6378
	जनसंपर्क मद	
5.	**एकीकृत बाल विकास सुविधायें ICDS**	
	महिला एवं बाल विकास-आंगनवाड़ी भवन निर्माण	
	महिला एवं बाल विकास-आंगनवाड़ी शौचालय निर्माण	
	महिला एवं बाल विकास-आंगनवाड़ी बाउण्ड्रीवॉल निर्माण	
6.	**शिक्षा विभाग से प्राप्त राशि**	
	शिक्षा विभाग - सर्व शिक्षा अभियान	8810
	शिक्षा विभाग - सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	5776
	शिक्षा विभाग - माध्यमिक शिक्षा मिशन	5902
	शिक्षा विभाग - शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण	7479
	शिक्षा विभाग - छात्रावास भवन निर्माण	8799
	शिक्षा विभाग - शालाओं में शौचालय का निर्माण/मरम्मत	7592
7.	**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी.एच.ई.)**	
	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी.एच.ई.) - ग्रामीण नलजल योजनाओं का संधारण	8415
	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी.एच.ई.) - पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	2580
	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी.एच.ई.) - नल-जल योजना का संधारण एवं मरम्मत	
	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी.एच.ई.) - हैंडपंप का संधारण एवं मरम्मत	2219
	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी.एच.ई.) - हैंडपंपों के क्षतिग्रस्त प्लेट फार्म का निर्माण	7166
8.	**अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की योजनायें**	
	अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जाति सघन बस्ती विकास योजना	
	अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जनजाति सघन बस्ती विकास योजना	
	अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जनजाति विशेष केन्द्रीय सहायता योजना	
9.	**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**	
	स्वास्थ्य विभाग - अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	7648
	स्वास्थ्य विभाग - सामुदायिक/उप एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	5056
	स्वास्थ्य विभाग - विर्निमित तकनीक के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की राशि	
	स्वास्थ्य विभाग - उप स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्रीवॉल निर्माण की राशि	

	स्वास्थ्य विभाग - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) की राशि	
10.	**पशु चिकित्सा विभाग से प्राप्त राशि**	
	पशु चिकित्सा विभाग - पशु चिकित्सालय एवं औषधालय निर्माण	2563
11.	**सामाजिक न्याय विभाग**	
	सामाजिक न्याय विभाग - पेंशन योजनाओं की शेष राशि	2235
12.	**सहकारिता विभाग**	
	सहकारिता विभाग - गोदाम निर्माण	
	सहकारिता विभाग - पी.डी.एस. शॉप निर्माण	
13.	**राजस्व विभाग से प्राप्त राशि**	
	धर्मस्व विभाग - धर्म-स्थल पुनर्रुद्धार	

ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से प्राप्त राशि

1199 क - करों से आय

1	भू उपकर	1101
2	कृषि भूमि पर उपकर	1102
3	सम्पत्ति कर	1103
4	भवन अनुमति फीस	1104
5	निजी संडासों पर कर	1105
6	प्रकाश कर	1106
7	वृत्ति कर	1107
8	बाजार फीस	1108
9	रजिस्ट्रीकरण फीस	1109
10	पशुओं पर कर	1110
11	बैलगाड़ियों/सायकिलों/रिक्शों आदि पर कर	1111
12	सरायों - धर्मशालाओं - विश्राम गृहों पर फीस	1112
13	वध शालाओं पर फीस	1113
14	जल कर	1114
15	जल निकास फीस	1115
16	दलाल-कमिशन एजेंटों की फीस	1116
17	वाहनों पर कर	1117
18	अस्थाई कर	1118
19	सफाई कर	1119
20	तांगा रिक्शा स्टेण्ड कर	1120
21	अस्थायी निकले हुये भाग या संरचना पर फीस	1121
22	पशुओं से चराने पर फीस	1122
23	संग्रहित भू-राजस्व	1123
24	मत्स्य पालन किराया	1124
25	नौ घाट पाप्तियां	1125
26	अन्य कर	1126

1299 ख - अन्य आय

1	जुर्माना और जप्तियां	1201
2	समझौता फीस	1202
3	सरकारी संपत्ति से किराया	1203
4	पंचायत संपत्ति से किराया	1204
5	प्राप्त ब्याज	1205
6	स्टाक तथा आस्तियों के विक्रय से आय	1206
7	विवध आय	1207
8	जनता से दान या अंशदान	1208

विशेष ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के चरणबद्ध आयोजन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत 22 जून से 27 जून 2015 तक आयोजित ग्रामसभाओं में इस बार मुख्य एजेंडा प्रदेश में इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना और पाँच वर्ष तक के बच्चों में व्याप्त कुपोषण का निराकरण है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में जारी आदेश को पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 16-1/2011/22/पं.-2 **भोपाल, दिनांक 15.06.2015**

प्रति,

1. समस्त,
जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत-समस्त
मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत-समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय - दिनांक 22 जून से 27 जून, 2015 के बीच विशेष ग्राम सभा का आयोजन।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 22 जून से 27 जून, 2015 के मध्य ग्राम सभाओं का चरणबद्ध तिथियों में आयोजन किया जाना है। इंदिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास में एवं 5 वर्ष तक के बच्चों में व्याप्त कुपोषण के निराकरण हेतु आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा के एजेंडे में निम्न बिन्दुएं शामिल हैं। निर्देशानुसार लेख है कि जिले अपनी सुविधानुसार दिनांक 22 जून से 27 जून, 2015 के मध्य विशेष ग्राम सभा का आयोजन करें।

इंदिरा आवास एवं मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास -

1. इंदिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये आवासहीनों की सूची तैयार करना।
2. चयनित आवासहीनों की सूची से ग्रामवार प्राथमिकता के क्रम में प्रतीक्षा सूची तैयार करना।
3. बी.पी.एल. की सूची से प्रवर्गवार आवासहीनों की प्रतीक्षा सूची पृथक-पृथक तैयार करना।
4. तैयार प्रतीक्षा सूची का सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 के डाटा से मिलान कर सत्यापित करना।
5. वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में ग्राम पंचायत में निर्मित आवासों में से पूर्ण आवास एवं अपूर्ण आवास की सूची वर्षवार पृथक-पृथक तैयार करना।

कुपोषण के निराकरण हेतु -

1. नियत समय पर गर्भवती महिलाओं का आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीयन एवं उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं, आई.एफ.ए. टेबलेट का प्रदाय तथा पूरक पोषण आहार की उपलब्धता की सुनिश्चितता।

2. गर्भवती महिला को घर में उचित आहार प्रदाय की सुनिश्चितता हेतु परिवार का जागृत करना।
3. संस्थागत प्रसव कराने हेतु गर्भवती महिला एवं उसके परिवार को प्रेरित करना।
4. गर्भवती/बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण।
5. बच्चों का नियमित वजन तथा पोषण स्तर का निर्धारण।
6. पोषण स्तर के आधार पर अतिकम वजन वाले बच्चों को मापदंड अनुसार पोषण पुनर्वास केन्द्र में पोषण प्रबंधन हेतु भेजे जाने की आवश्यकता पर समुदाय द्वारा ऐसे बच्चों के अभिभावकों को समझाईश दिया जाना। अन्य गैर चिकित्सा आवश्यकता वाले अतिकम वजन वाले बच्चों को खान-पान इत्यादि सुधार हेतु समुदाय द्वारा प्रबंधन किया जाना।
7. अतिकम वजन वाले बच्चों के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाया जाना।
8. अतिकम वजन वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु जनप्रतिनिधि/जनसमुदाय/औद्योगिक संस्थानों से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयास करना।

(ब्रजेश कुमार)
अपर सचिव
म.प्र. शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स्वास्थ्य

एड्स रोगियों के लिए सामुदायिक देखभाल केन्द्र

सामुदायिक देखभाल केन्द्र क्या हैं?

- सामुदायिक देखभाल केन्द्र एचआईव्ही के साथ जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्तियों को ए.आर.टी. दवा शुरू करने के पूर्व दवा लेने के लिये मानसिक रूप से तैयार करने, ए.आर.टी. की दवा आरंभ होने के बाद दवाओं के दुष्प्रभावों की निगरानी, नियमित व निरंतर दवा लेने पर परामर्श व अवसरवादी संक्रमणों के उपचार की सुविधा प्रदान करते हैं।
- ये केन्द्र एचआईव्ही संक्रमित व्यक्तियों विशेष रूप से ए.आर.टी. केन्द्र में दर्ज व्यक्तियों को विभिन्न सहायता प्रदान कर स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं।
- सामुदायिक देखभाल केन्द्र (सी.सी.सी.) एचआईव्ही/एड्स पीड़ितों के लिए घर व अस्पताल के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

कम्युनिटी केयर सेन्टर में उपलब्ध सेवाएं :

- केन्द्र में मरीजों की स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, आंशिक अवधि के लिए आवास की विशेष रूप से व्यवस्था होती है।
- भावनात्मक सहयोग व परामर्श प्रदान करना।
- चिकित्सकीय उपचार सेवाएं।
- पोषण से संबंधित सुविधाएं।
- भेद-भाव के प्रति एडवोकेसी।
- घर पर की जाने वाली देखभाल पर जानकारी देना।
- एचआईव्ही से बचाव की जानकारी व कण्डोम वितरण।
- टी.बी. का उपचार व उससे देखभाल।
- आईसीटीसी, पीपीटीसीटी, एआरटी, एसटीआई व परिवार नियोजन क्लीनिक, पोषण व आवास हेतु सरकारी योजनाओं को रेफर करना।

यौन रोग (एस.टी.आई.)

यौन रोग क्या है?

वह रोग जो यौन क्रिया (संभोग) द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचालित होते हैं, उन्हें यौन रोग कहा जाता है। मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संक्रमण पहुंचता है।

महिलाओं में यौन रोगों के लक्षण

- योनि मार्ग एवं जननांगों के आसपास खुजली या जलन होना।
- पेशाब के दौरान जलन होना।
- योनि से गाढ़ा एव बदबूदार पानी बहना।
- पेडू यो पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। ।
- गुप्तांगों में या उसके आसपास गांठ पड़ जाना।
- संभोग के समय दर्द।
- कुछ यौन रोगों में कोई भी लक्षण प्रकट नहीं होते, खासतौर से स्त्रियों में।

पुरुषों में यौन रोगों के लक्षण

- लिंग में खुजली या सूजन होना।
- बार-बार पेशाब आना।
- लिंग में से मवाद का बहना।
- गुप्तांगों के आसपास घाव या छाले आ जाना
- गुप्तांगों में या उसके आसपास गांठ पड़ जाना।